

**THE LALIT KALA AKADAMI
(TAKING OVER OF MANAGEMENT)
BILL, 1997**

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT (SHRI S.R. BOMMAI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the taking over of the management of the Lalit Kala Akadami for a limited period in the public interest and for matters connected therewith or incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI S.R. BOMMAI: Sir, I introduce the Bill.

STATEMENT BY MINISTER

Targeted Public Distribution System:

खाद्य मंत्री तथा नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): महोदय, एक सुविचारित और उपयुक्त रूप से कार्य कर रही सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीबी उन्मूलन की नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। तथापि, मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए कार्य करने में असफल रहने, शहरी क्षेत्रों के प्रति उसके झुकाव तथा सुपुर्दगी के लिए पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था न होने के कारण व्यापक रूप से आलोचना हुई है। इस बात को समझते हुए, सरकार का गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को विशेष कार्ड जारी करके तथा सुपुर्दगी प्रणाली के बेहतर मॉनीटरिंग के साथ उन्हें विशेष राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवश्यक वस्तुएं बेचकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाने का प्रस्ताव है।

जैसा कि 1996-97 के केन्द्रीय बजट में कहा गया है, इस संबंध में शुरुआत अर्थात् खाद्यान्न जारी करके करने का प्रस्ताव है, जिसकी सबसे अधिक जरूरत महसूस की जाती है।

प्रारंभ में योजना आयोग द्वारा प्रो० लाकड़ावाला की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ दल द्वारा बताए गए तरीके का इस्तेमाल करके निकाले गए 1993-94 के अनुमानों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को विशेष राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर प्रति परिवार, प्रति माह 10 कि०ग्रा० खाद्यान्न जारी करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा जैसा कि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में सिफारिश की गई थी, राज्यों द्वारा गत 10 वर्षों में खाद्यान्न के औसत उठान को इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ प्राप्त कर रहे गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए जारी रखने का प्रस्ताव है।

इस औसत उठान में से जो मात्रा गरीबी रेखा से नीचे की आबादी की आवश्यकता से अधिक है, उसे राज्यों को केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर अस्थायी आबंटन के रूप में आबंटित करने का प्रस्ताव है।

सरकार का सुनिश्चित रोजगार स्कीम और जवाहर रोजगार योजना के तहत लाभभोगियों के लिए भी 1 कि०ग्रा० चावल/गेहूं प्रति मानव दिवस की दर से विशेष राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न जारी करने का प्रस्ताव है।

यह सर्वविदित है कि चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों को 1.2.1994 से संशोधन नहीं किया गया है। इसके बाद से चावल और गेहूं दोनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में क्रमशः तीन और चार बार वृद्धि की जा चुकी है। इन संशोधनों और अन्य आनुषंगिक खर्चों में वृद्धि और इसी समय लोगों के लिए बहुत अधिक परेशानी पैदा नहीं करने को ध्यान में रखते हुए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय निर्गम मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव है।

निर्गम मूल्य

रु०/कि०ग्रा०

चावल

गेहूं

कुल

राजसहायता

कॉमन

फाइन

सुपर फाइन

करोड़ रु०

| | कॉमन | फाइन | सुपर फाइन | कुल |
|-----------------------|------|------|-----------|---------|
| 1. गरीबी रेखा से नीचे | 3.50 | 3.50 | — | 8282.90 |
| 1. गरीबी रेखा से उपर | — | 6.50 | 7.50 | 4.50 |

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली बुनियादी रूप में गरीबों पर केन्द्रित है और इससे गरीबी रेखा से नीचे के 32 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य राज सहायता की राशि लगभग आठ हजार करोड़ रुपए की होगी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 180 लाख मी० टन खाद्यान्न जारी किए जाने की संभावना है।

कोई भी राज्य जो बड़ी संख्या में लोगों को इस स्कीम में शामिल करना चाहता है या दी जाने वाली मात्रा के पैमाने में वृद्धि करना या मूल्य कम करना चाहता है तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है बशर्ते वह अपने स्वयं के संसाधनों से खाद्यान्नों और निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता को पूर्ति कर सके।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभ-भोगियों को पहचान करना, उन्हें विशेष कार्ड जारी करना और इन अभिप्रेत लाभ-भोगियों के लिए खाद्यान्नों की सुपुर्दगी सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और उन्हें सदन के पटल पर रखा गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्य सरकारें इन दिशा निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन करेंगी और इस बात पर नजर रखेंगी कि हमारे समाज के सबसे गरीब वर्गों को खाद्यान्नों की उनकी हकदारी बिना नागा नियमित रूप से मिलती रहे।

श्री नरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): No, no, you have to send your name. I would like to know whether the Minister is prepared to answer your questions for clarification.

श्री नरेन्द्र मोहन: मैं इसी पर स्पष्टीकरण चाहता हूँ... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): No, no, you have to send your name. The Minister is willing. There are already other people who want to seek clarifications. Is the Minister willing to give clarifications now?

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Normally the practice here is that... (Interruptions)... You are a member with a long standing reputation.

Normally, the practice in the Rajya Sabha is that the hon. Minister makes a Statement and Members seek clarifications.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): I do not deny the Members their right to seek clarifications. I would like to know whether he is free just now because sometimes he is in the Rajya Sabha and sometimes... (Interruptions)... Please listen to me. ... (Interruptions).

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: माननीय सदस्य जो श्री क्लेरीफिकेशन पूछें, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ... (व्यवधान)।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Excuse me, I am not denying the right of the hon. Members to seek clarifications. I am only willing. Sometimes in the Rajya Sabha we have even had clarifications later. I just wanted to know if the Minister is ready.

SYED SIBTEY RAZI (Uttar Pradesh): You can ask the Members if they are ready to seek clarifications or they want to....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): They have already given their names. The Minister is ready. Here is the list of names.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA (Punjab): Sir, I am a bit hesitant to welcome this major move to meet the aspirations and needs of the poor people of this country precisely for one particular reason which this Statement itself admits. A well-targeted and properly functioning public distribution system is an important constituent for the strategy of poverty eradication. Hon. Vice-Chairman, Sir, it is tragic that the country has seen that the public distribution system, including the revamped public distribution system has failed miserably to make food reach the targeted and poor people of this country. I may remind the hon. Minister—and he must be aware of this—that the investigations conducted by the

Government intelligence agencies revealed that 70% of the foodgrains supplied through the PDS never reached the targeted people, the really poor people of this country. The Minister has stated in his statement that the families which are below the poverty line would be issued special cards. My point is, how are you going to ensure that the scheme is not misused by the State Governments? How does the Central Government monitor and control if a State Government issues special cards more than it is entitled to and claiming thereby a higher quantity of foodgrains from the Central pool. It is likely to lead to a situation where the really poor people in other States would not be able to get their quota and benefit from the scheme. What is the mechanism to ensure that special cards are issued only to those families which deserve them.

Para 4 of the statement says that the Government also proposes to extend the issue of specially subsidised foodgrains to the beneficiaries under the Employment Assurance Scheme and the Jawahar Rozgar Yojana and issue of one kilogram of rice/wheat per day per person. I don't find any justification in this. You are giving an additional benefit to those who are entitled for a job under the special employment schemes. If you have surplus food, surplus funds, it is very well. Therefore, before this could be taken up, we must ensure the benefit to those poor people who have nothing else to fall back upon, who are not the beneficiaries of either the Employment Assurance Scheme or the Jawahar Rozgar Yojana. It is no use if you just enlarge the coverage and the really needy don't get any benefit.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): I would request you to seek clarifications.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: I am only seeking clarifications.

Para 3 indicates that to start with the Government is proposing to issue 10 kilograms of foodgrains per family per month at half the issue price for all families which are below the poverty line. You are going to meet the needs of the people only partially. Ten kilograms of foodgrains for a family of five members would be totally insufficient. It would meet the consumption needs of the family only partially. It is too small for a family of five members. Ten kilograms of foodgrains is nothing for a month. One would like to know why you are not able to meet the needs of the poor people fully. If you are really serious to help the poor people, then you must increase the quantum. One would like to know how you are going to do this. Certain figures have been worked out. The Minister has given the formula which Prof. Lakdawala had advocated for estimating the number of families which are below the poverty line. One would like to know on what basis this formula has been put into practice for determining the needs of every State. Another peculiarity is the assumption of average lifting. It is peculiar because it is said that the average lifting of foodgrains by the States for the last ten years is proposed to be continued for the benefit of the population above the poverty line. Sir, there are States in India which are supplying food on their own. If they are supplying food on their own, then you are denying them their right to draw foodgrains from the Central pool at the reduced prices. You are discriminating them against the States which are actually supplying from the Central pool. They have never lifted from the Central pool. What are you going to do with those States which are supplying the foodgrains without drawing them from the Central pool? I would like to know if you are going to compensate such States. You should either compensate them in terms of money or remove the condition of average lifting for ten years.

These are my questions, I would request the hon. Minister to clarify them.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Before I call the next speaker, I have to inform the House that there are 13 Members who want to seek clarifications on the subject. I, therefore, request them to put pointed clarifications. I would be grateful if they could conclude their speeches within five minutes. Now, Shri Ajit P.K. Jogi.

श्री अजीत जोगी (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं केवल चार-पांच बिंदुओं पर आदरणीय मंत्री जी से आप के माध्यम से स्पष्टीकरण पूछना चाहता हूँ। यह बर्धाई देते हुए कि उन्होंने एक अच्छी पहल की है गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सही में लाभ पहुंचाने की उन की मंशा अच्छी है, पर उस के कार्यान्वयन के संबंध में मुझे कुछ संदेह है जिनके बारे में जानकारी चाहता हूँ।

पहली बात तो यह है कि इस में आप ने प्रोफेसर लाकडावाला की परिभाषा को अपनाया है गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए, लेकिन दूसरे कार्यक्रमों में गरीबी रेखा निर्धारित करने की दूसरी परिभाषाएं हैं। आई० आर०डी०पी० में कोई अलग परिभाषा चल रही है। इस से एक गांव में, एक जिले में दो तरह के गरीब हो जाएंगे। आई०आर०डी०पी० का गरीब अलग होगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गरीब अलग होगा और किसी और योजना का गरीब अलग होगा। इस विरोधाभास को दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या आप अपने मंत्रिमण्डल के स्तर पर कोई एक परिभाषा नहीं लागू कर सकते? एक ऐसी परिभाषा जो सब से अधिक मान्य हो। आप की दृष्टि में कौनसी परिभाषा सब से अधिक मान्य है? यह मेरा आप से पहला प्रश्न है।

दूसरे, आप ने इस में आदिवासी इलाकों का कोई उल्लेख नहीं किया है। आदिवासी इलाकों में न तो अभी यह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा चल रहा है और न बाद में चलेगा क्योंकि वहां न तो आप इस तरह की उचित मूल्य की दुकानें गांव-गांव में चला सकते हैं। कारण यह है कि देहातों और जंगलों में उन के तीन घर, चार घर बनाकर वे रहते हैं और वहां के लिए आप को दो चौजे करनी पड़ेगी। एक तो आप को चलित दुकानों की व्यवस्था करनी पड़ेगी जो एक गांव से, एक मोहल्ले से, एक माजरे से, एक पारे से और एक हैमलेट से दूसरे हैमलेट जाए। क्या आप इसे ध्यान में रखकर व्यवस्था करेंगे? इसी तरह से आदिवासी इलाकों के लिए आप को

हाट में भी इन दुकानों की व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि जो लोकली मार्केट भरती है, वहीं आदिवासी खरीद-फरोख्त करता है। वहीं आप को यह दुकानें चलानी पड़ेगी। क्या आप आदिवासी इलाकों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था शामिल करेंगे? यह मेरा आप से दूसरा स्पष्टीकरण है।

तीसरा स्पष्टीकरण आप से यह चाहता हूँ कि आप ने इस में केवल दो ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं को शामिल किया है कि उन में भी आप खाद्यान्न देंगे। उस के अलावा बहुत से प्लान वर्क्स चल रहे हैं, जैसे सिंचाई विभाग का चल रहा है और लोक निर्माण विभाग का चल रहा है और उस में भी गरीबी रेखा से नीचे के लोग मजदूरी करेंगे। उन के लिए भी आप मजदूरी का एक हिस्सा खाद्यान्न के रूप में देने की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो इस में उन को पैसा तो मिलेगा लेकिन खाद्यान्न नहीं मिलेगा जोकि उचित व्यवस्था नहीं होगी। यह मेरा आप से तीसरा प्रश्न है।

मेरा चौथा प्रश्न यह है कि इस योजना का राजनीतिकरण होने की बहुत बड़ी आशंका है हर राज्य सरकार ऐसे लोगों को काई देगी जिन को वह सोचेगी कि हमारी राजनीतिक पार्टियों के प्रति इन का झुकव है। इस से बचने के लिए आप क्या करेंगे? महोदय, आज देश में हर प्रांत में अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों की सरकारें हैं और वह लोग गरीबों को अपने चरम से देखेंगे। इस बात को दूर करने के लिए आप के मॉनीटरिंग सिस्टम में क्या उपाय है?

महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि आप ने दस किलोग्राम प्रति परिवार, प्रति माह देने की व्यवस्था की है। अगर दस लोगों का परिवार है तो यह एक व्यक्ति के लिए एक किलोग्राम, एक महीने के लिए हुआ। महोदय, यह तो इतना अपर्याप्त है कि अगर मैं अपने मित्र के शब्द उधार ले लूँ तो "तमाशा" है और आप एक व्यक्ति को एक किलो एक महीने में देकर उन की क्या मदद करना चाहते हैं? अगर देना चाहते हैं तो ठीक से दीजिए, उचित व्यवस्था कीजिए और कम-से-कम इतना दीजिए कि वह उस के लिए महीनेभर को पर्याप्त हो जाए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?

मैंने आप से पांच विशिष्ट प्रश्न पूछे हैं। आप इन पांचों का स्पष्ट उत्तर दें। धन्यवाद।

SHRI TRILOKI NATH
CHATURVEDI (Uttar Pradesh): Thank
you, Mr. Vice-Chairman, Sir. The main
objectives are agreed to by every

Member of the House, but, Sir, we have heard similar sentiments all along. Yet, there is a wide gap between implementation and promises. That is why, my first point is...

श्री अजीत जोगी: हिन्दी वाले मंत्री बैठे हैं, आप हिन्दी में बोलें तो अच्छा रहेगा।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: अच्छा, जोगी जी हमारे शागिर्द रहे हैं, उनकी आज्ञा है कि हिन्दी में बोलें तो मैं उनकी आज्ञा उनके आदेश का पालन करता हूँ।

श्री अजित जोगी: गुरु अगर शिष्य की आज्ञा माने तो उचित है?

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: मानना ही पड़ेगी। गुरु गुड़ ही रह गया और चेला शकर हो गया है।

महोदय, पहला प्रश्न मेरा यह है कि जितनी भी प्रशासनिक कमजोरियाँ या समन्वय अभाव की कमजोरियाँ अभी तक वितरण प्रणाली में रही हैं, यह जो नई स्कीम है इससे दूर होंगी? मैं समझता हूँ कि यह एक सप्लीमेंटरी या पूरक स्कीम है, यह कोई सबस्टीट्यूट या पुर्णनी स्कीम की जगह नई स्कीम नहीं है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो अभी तक आपकी चल रही है प्रणाली या प्रथा या सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म इत्यादि, क्या उनकी कमजोरियों को आपने देख लिया है और इसमें आपने उनके निराकरण का क्या इंतजाम किया है?

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि आपने जो गाइडलाइन्स या जो मार्गदर्शिका जारी की है, जो हम लोगों को दी नहीं गई है, कहा गया है, शतव्यद रख दी गई है, लेकिन बांटी नहीं गई है, बांटी नहीं गई है इस कजह से मैं उसमें नहीं जाता, मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस मार्गदर्शिका में कौन से बिन्दु ऐसे हैं, जिनको आप प्रमुख और महत्वपूर्ण समझते हैं? कौन से ऐसे बिन्दु पहले से विज्ञ हैं, जो मार्गदर्शिका में निहित हैं और जो आपकी स्कीम को सफलीभूत और कारगर बनाने में प्रभावी होंगे? यह मैं आपसे कम्परेटिव तौर पर समझना चाहता हूँ।

तीसरी चीज जो मैं चाहता हूँ, जिस महत्वपूर्ण बिन्दु पर अजीत जोगी जी ने भी आपका ध्यान दिलाया है, कि जो आप यह नई मार्गदर्शिका दे रहे हैं, उसमें जो भिन्नताएँ हैं क्षेत्र की, जैसे कि ट्राइबल या एथेनिक या कुछ और जो बिन्दु है, जिनकी समस्याओं पर बहुत प्रश्न होते रहे हैं, क्या उन बिन्दुओं को भी इसमें ध्यान में रखा गया है? ऐसे स्थान के लोगों की समस्याएँ भी आपकी इस नई स्कीम के तहत हल हो सकेंगी?

चौथा प्रश्न, महोदय, मैं जानने से पूर्व मैं आपका ध्यान पैराग्राफ "तीन" की तरफ दिलाना चाहता हूँ, आखिरी जो इसका सप्टेन्स, है, उसकी ओर। चूंकि यह मेरे पास हिन्दी में नहीं है, अंग्रेजी में है, इसमें यह है कि— "Population below the poverty-line is proposed to be allocated to States as a transitory allocation."

"एच ए ट्रांजिटरी", यह ट्रांजिटरी वर्ड या अस्थायी, क्या यह संविधान के अनुच्छेद 370 के अनुसार ट्रांजिटरी है या कुछ वर्षों के लिए, दो साल के लिए या तीन साल के लिए, ऐसी कोई आपकी कल्पना है? कब तक का आपने सोचा है? इस शब्द को क्यों इस्तेमाल किया गया है? इसके पीछे आपकी क्या विचारधारा है? इसका कारण मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यह क्यों हुआ? बहुत सही बात आपके सामने अजीत जोगी जी ने कही, क्या प्रो० लाकड़ावाला ने जो मापदंड तैयार किया है, उसके अनुसार आप करेंगे? अगर करेंगे तब बिलो पावरटी लाइन की संख्या बहुत अधिक होगी, जैसा कि आप जानते हैं। आपने भी 40 प्रतिशत मानी है। यह बर्धन कब आप राज्य सरकारों के ऊपर डालेंगे और कब आप वास्तव में वहन करेंगे? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपकी सरकार इस बात से प्रतिबद्ध है कि कोरेपेटिव फेडरलिज्म करेंगे और राज्य सरकारों को अधिक से अधिक साधन देंगे।

मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में इम्प्लॉयमेंट इश्योरेंस स्कीम और जवाहर रोजगार योजना का भी जिक्र किया है। इसमें आप 10 किलोग्राम अनाज दे रहे हैं, जो अपर्याप्त है और इसके बारे में बात हो चुकी है। इन दोनों स्कीमों में बहुत सी कमियाँ हैं और बहुत सी खामियाँ हैं और यह बात समय-समय पर पार्लियामेंट के सामने आ चुकी है। क्या आपने यह ध्यान रखा है ताकि वह लीकेज न हो इस नयी स्कीम में? जो भी थोड़ा सा आप दे रहे हैं, चाहे तमामों के लिए ही दे रहे हैं, वह वास्तव में उन लोगों को मिलना चाहिए जो कि इसके अधिकारी हैं और जिन तक हम और आप चाहते हैं कि इसका लाभ पहुंचे।

अंत में मैं आपके वक्तव्य के पैराग्राफ 7 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा जिसमें आपने कहा है कि— "...any State which wants to cover a large number of people..."

मेरे ख्याल से इसमें कुछ मिसप्रिंट है। यह होना चाहिए— "...a larger number of people..." मैंने इस ओर आपका ध्यान आकर्षित कर दिया है। इस

विषय में डिटेल्ड गार्डिलाइस आप मेहरबानी करके अवश्य ही वितरित करा दीजिएगा।

श्री अजीत जोगी: अभी करा दें, तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: करवा देंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): I have many names for clarifications. I would like to know the sense of the House. Some parties have given three, four or five names. Can we take them as they are? Normally it is done according to the strength of the parties.

SHRI AJIT P.K. JOGI: The Chair can use its discretion.

SHRI SATISH AGARWAL (Rajasthan): Sir, you can call the names party-wise ... (Interruptions)... Party-wise it is our turn. ... (Interruptions)...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): May I give a suggestion? ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Can I take one Member from each party and then come back to the other?

SHRI SATISH AGARWAL: Sir, that you can do... (Interruptions)... That is fair.

SHRI AJIT P.K. JOGI: You can do that. ... (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Shri Gurudas Das Gupta.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, I have no hesitation in complimenting the Government for taking this historic step. I call it a historic step because never before did any Government in this country take such a step to indirectly supplement the income of the people living below the poverty line. When you supply foodgrains at a subsidised price, at merely half the price, then this in a way would supplement the income of the people who are living below the poverty line. Never has it been done in India.

This was a long-standing demand from all sides cutting across party lines. Therefore, it is a laudable step; it is a remarkable step. It is a remarkable step because it gives partial food security to people who have very little purchasing power. So, I compliment the Government. My question is this. This is again for the first time in so many years that a Government accepts that there is a large section of people, may be 32 crores, who are living below the poverty line. We had been putting this question persistently from one Finance Minister to another to identify the people who are living below the poverty line. Sometimes we were told that the poverty line had improved because the purchasing power had improved and because the reforms had given their desired results. Sometimes we were told that we were exaggerating the problem of poverty. Never before did any Government come before this House to tell the country that there were so many people living below the poverty line. Whether you can really help them because you do not have enough resources is a different question. But, this Government has a genuine feeling for the people, at least to identify the magnitude of poverty in this country. I have the same question as Mr. Ajit Jogi has. Sir, the economists in this country have invented formulate, one after another, to downplay the problem of poverty. There have been various theories; there have been various surveys. Their intention was only one, that is, to downplay the problem of poverty. Since the Department of Food, Government of India, identifies the total magnitude of the people below the poverty line, this should be taken as the basis. This should be taken as a basis for identifying the poor people, in determining where the poverty line lies in the country. This should be the basis. And, once and for all, this utopian economic exercise of down-playing the problem of poverty should end. It should end once and for all. It is important because the Government is paying money to supply

subsidised ration for this category of people. In a way, the Government is undertaking a social responsibility. If the Government undertakes a social responsibility, then it must be on the basis of ocular proof. This ocular proof should be the basis in determining the poverty line of the country and other exercises should end once and for all. Therefore, I would like the Government to tell us whether the basis of determining the poverty line, as has been done by the Ministry of Food, can be taken as more authoritative basis than that of the other departments of the Government, including the Ministry of Finance. The Budget is coming. The Ministry of Finance should also be asked to make calculations on the basis of this magnitude.

My second question is, supply of subsidised ration to the people...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): How many more questions do you have?

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, I have just two or three more questions. In the supply of subsidised ration, the Government should see that the subsidised ration does not go to people who do not deserve it. It must go to people who deserve it. For this we need infrastructure and it depends on the State administration. I am equally afraid that while giving ration cards no discrimination should be made. Only poor people who, according to the standard suggested by the Ministry of Food, should be given. There should not be any discrimination in issuing ration cards. There should not be any political discrimination. There should not be any caste discrimination. And, there should not be any religious discrimination in issuing ration cards. All persons living in this country are Indians. Hence, there should not be any discrimination in issuing ration cards. I agree that this responsibility should be given to the State administration. But, the Central Government should monitor the

distribution of cards and the Central Government should not leave this to the State Governments because the Central Government is undertaking the financial responsibility. Therefore, the Central Government must monitor. There has to be a sample survey also. Therefore, my questions, are you ready to function as a watch-dog to see that your policies are properly implemented? Your job is not to formulate the policy alone but the Government of India should also see that the policy has been implemented properly. Till now the procedure is, the Central Government is responsible for formulating a policy and its implementation is left to other agencies. Let that differentiation end once and for all. It is your policy and it is your money; so it is your responsibility to see that there is no discrimination and it is done properly. For that you have to function as a watch-dog. Therefore, my question is, whether you undertake the responsibility of implementation, may not be fully but, at least, to the extent that you are able to monitor.

My next question is, this partial food security, in my opinion, shall increase, to some extent, the bargaining power of the agricultural poor and rural workers. They have to surrender to the oppressed because they do not have any income to fall back upon. If this meagre ration goes to them directly then, at least, for some time they have something to fall back upon. It is likely that the bargaining power of the poor people living hand-to-mouth, living on the mercy of the landed aristocracy, may at least be able to augment their income.

Thirdly, the Government should ensure one thing. Under this scheme each cardholder will be given 10 kgs. of ration. In a number of places, in a number of families, the number of members is large. The poor people do not understand. Therefore, while giving the ration card, the Government should see that the normal, standard, family is taken into account. On the one hand, there is a

possibility of fake ration cards. On the other hand, since the people are illiterate and they live on others' advice, rarely, the decisions of the Government reach them. That is why I would say that joint family should be taken as the basis for the issue of these ration cards.

I would also suggest that there should be a serious campaign, a campaign for creating awareness among the people, a campaign to tell the people as to how they can take advantage of the scheme. If such a kind of an awareness campaign is not launched, on the one hand, there may be cases of discrimination and, on the other, the people may not be able to take advantage of the scheme. Therefore, Sir, would the Government agree? It is not a question of just giving ration. The Government should also take upon itself the responsibility of creating awareness among these people so that they are able to take advantage of the scheme, this laudable scheme, that has been launched.

Once again, I give my best compliments to my young colleague here. Once again, I give my best compliments to the Government as a whole because it is for the first time that something is being sought to be done. There may be a large number of inaccuracies. There may be a large number of shortcomings. But a laudable beginning has been made. This laudable beginning of the Government should be supplemented with total support from the different political quarters in the country.

Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Prof. Ram Kapse.

SHRI SATISH AGARWAL: Mr. Vice-Chairman, Sir, before you ask him and the other hon. Members to seek clarifications, I would like to know just one thing. The Minister has given the figure of 32 crores here. I would like to know as to what is the break-up of this figure in the case of each and every State. How many poor people... (Interruptions)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Agarwalji, I agree. (Interruptions)

SHRI SATISH AGARWAL: The statement says: "Any State which wants to cover a large number of persons or increase the scale of issue or reduce the price..." I would just like to know as to what is the number of people living below the poverty line, State-wise. That is all.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I would suggest to my hon. friend.

SHRI SATISH AGARWAL: I am not raising any query. I am endorsing your view.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Thank you, Sir. Across the Table, across the line, let us compliment.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Prof. Ram Kapse, Prof. Vijay Kumar Malhotra had given his name earlier. Can you wait?

PROF. RAM KAPSE (Maharashtra): All right, Sir.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, it should be party-wise; one from each party. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Now, there are three-four names. I am calling one from this side and one from that side. Otherwise, it may happen that all the names from the BJP would be together. To avoid that, I am doing like this. Prof. Vijay Kumar Malhotra, please.

श्री विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली): उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब एक कम्युनिस्ट पार्टी के मेम्बर ने इसको रिजर्वेशन स्टेप और हिस्टोरिक स्टेप बताया।

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): The Communist Party has become an 'yes-man'. That is the position now.

श्री विजय कुमार मल्होत्रा: युनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट पिछले कई महीनों से इस को गरीबों के हक में

और गरीबों के समर्थन का कदम बता रही है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा हिस्टोरिक फ्रॉन्ट और रिमैकेबल फ्रॉन्ट किसी ने आज तक नहीं किया। जितना नुकसान इससे गरीबों को होने वाला है मैं समझता हूँ कि उससे आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? किसको धोखा दे रहे हैं? पब्लिक के सामने क्या चीज़ आप पेश करने जा रहे हैं? आपने लिख दिया कि 32 करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, आप देखिए कि 32 करोड़ लोगों को इससे कितना नुकसान होगा?

पहली बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आपने इसमें यह नहीं बताया कि कौन लोग होंगे जिन्होंने इसका बेंचिफिट मिलेगा? पॉवर्टी लाइन कितने रुपये महीने से या कितने परकैपिटल इनकम से नीचे मानी जाएगी, इसमें आपने इसमें क्यों नहीं बताया? मैं समझता हूँ कि इसके होने के बाद सारे पीओएस, सारे बर्लक इससे बाहर निकल जाएंगे और जितने दिल्ली के अंदर डेली वेजेबल पर काम करने वाले लोग हैं, जो मिनिमम वेजेबल वाले हैं, वे भी इसमें से बाहर निकल जाएंगे तो इन सब लोगों का क्या होगा?

आपने ईशू प्राइस इन्फ्लेक्शन कर दिया, यह आप किसी की नहीं बता रहे हैं कि ईशू प्राइस को, जो बाकी के बच्चे हुए हैं, उनके लिए 3 रुपये 90 पैसे से बढ़ाकर 4.50 पैसे कर दिया। उनके लिए ईशू प्राइस बढ़ाकर उनके ऊपर कितना बड़ा बोझ ला रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि एक आदमी को महीने में कितना अनाज चाहिए। कम से कम कितना अनाज उसको चाहिए? गरीबी की रखा के नीचे, जिसके पास कोई दूसरी चीज़ खाने के लिए नहीं है, जिसके पास दूध नहीं है, फल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, जो सिर्फ अनाज खाता है, उसको कितना अनाज एक महीने में चाहिए? क्या आपने इसका अंदाजा लगाया या आपने सिर्फ इतना कह दिया कि 10 किलोग्राम पर पर-पैफिली पर-मैथ अनाज देंगे। एक फैमिली में अगर पाँच आदमी की मान लिए जाएं तो एक आदमी के हिस्से में एक महीने में केवल दो किलोग्राम अनाज आता है और एक हफ्ते में केवल आधा किलो अनाज उसके हिस्से में आता है। वह आप क्या प्रस्ताव कर रहे हैं, क्यों धोखा दे रहे हैं? एक आदमी को इतना अनाज देंगे तो वह क्या खाएगा। फ्लास किलोग्राम कम से कम एक फैमिली की जरूरत है और जब कि आप केवल 10 किलोग्राम अनाज उसे देंगे। आई रुपये ईशू प्राइस आपने लिखी है और जब उसको मिलेगा तो 3 रुपये 20 पैसे या कितना पहुंचेगा, यह मैं नहीं कह

सकता। तो तीन रुपये में तो वह मिलेगा और बाकी राशन में से मिलता था, वह भी मंहंगा हो गया। जो पहले उसको राशन में मिलता था, वह मंहंगा हो गया और जो खुले बाजार से वह खरीदेगा, वह और मंहंगा हो गया। खुले बाजार में गेहूँ की कीमत तीन रुपये पर किलोग्राम बढ़ाई है। तीन रुपये पर-किलो आपने खुले बाजार में इन्फ्लेक्शन कर दिये, जो गेहूँ गवर्नमेंट देती थी और जिस दिन गवर्नमेंट ने खुले बाजार में तीन रुपए पर-किलो गेहूँ के दाम बढ़ाए, तब से खुले बाजार में सारे भाव बढ़कर 10 रुपये और 12 रुपये पर-किलो हो गये। इस तरह से बाकी का 40 किलो गेहूँ जो उसको चाहिए, उसे वह 10 रुपये पर-किलो के हिसाब से खरीदेगा। वह 40 किलो तो 10 रुपये के हिसाब से खरीदे और आपने उसको एक बा दो रुपये पर-किलोग्राम की रकत दे दी तो इससे बढ़ा भी कोई फ्रॉन्ट होगा, कोई धोखा होगा जो आप पब्लिक को दे रहे हैं? और आप कह रहे हैं 32 करोड़ लोगों को इससे फायदा होगा। मैं तब इसे ठीक समझता अगर आप जितने गरीबों के रखा के नीचे लोग हैं, उनकी पूरी रिक्वायरमेंट अगर आधी कीमत पर कर देते तो मतलब समझ में आता था। अगर आप इसे 3/4 भी कर देते, तो भी लगता कि आपने कुछ न कुछ सहूलियत तो दी है। पर आपने क्या सहूलियत दी है कि 1/5 हिस्से चीज़ की कीमत कम करके 4/5 हिस्से में तीन गुणा ज्यादा बढ़ि कर दी और तीन गुणा ज्यादा उससे बसूल कर लिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों पर इस तरह का जुल्म आप क्यों कर रहे हैं कि बाकी का अनाज वह बाजार से खरीदे और बाजार की कीमत और बढ़ जाए क्योंकि जब आप इसको कम करेंगे तो बाजार की कीमत और बढ़ जाएगी। आपने कहा कि आठ हजार करोड़ रुपये की सविस्ती होगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि पहले कितनी सविस्ती है? आज कितनी सविस्ती है? क्या आपने बताया कि आज से कितनी सविस्ती बढ़ेगी? वह कदम उठाने से पहले कितनी सविस्ती थी और कदम उठाने के बाद कितनी बढ़ेगी? कोई सविस्ती नहीं बढ़ रही है। केवल अनाज के लिए आपने यह कहा है। जो गवर्नमेंट सप्लेट है, जो क्लास स्तर इम्प्रूवेंड है, डेली वेजेबल वाले मजदूर हैं, जो इसमें नहीं आएंगे, तो उनकी ईशू प्राइस भी बढ़ा दी, माफिट प्राइस भी बढ़ा दी, इससे उन सबके ऊपर बड़ा भारी अन्याय और अत्याचार हुआ है। झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोग और मजदूर इस तरीके के बाद बहुत कठिनाई में पड़ेंगे। आप इस तरीके को रिवरर्स करिए और पूरे का पूरा बेंचिफिट उनको दीजिए और बाकी बचे

हुए लोगों पर ईशू प्राइस बढ़ाना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, बहुत बड़ा अन्वय है।

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): Respected Vice-Chairman, Sir, of course, this statement has been made with the laudable object of providing subsistence to people living below the poverty line, but I would like to pose one question. In paragraph 3 it is stated, "To start with, it is proposed to issue 10 kg. of foodgrains per family, per month..." But the size of the family is not mentioned here. Whether ten kg. of foodgrains are sufficient for a family or not depends upon the size of the family. Ten kg. of foodgrains per month are not sufficient even for a single person. That being the case, if you provide only ten kg. per family per month, will it really give any relief to them or will it really save them from starvation? That question has to be taken into consideration.

Sir, in several States, take for example Tamil Nadu, already family cards are being issued. There are two separate types of cards have to be issued. One is specially meant for those who are living below the poverty line and the other is for the persons who are above the poverty line. There are several States which are already following certain methods of public distribution system for the supply of essential commodities to the people. I would like to know whether this scheme of the Central Government will be in confrontation with or in coordination with the State Governments. Would there be any monitoring agency to ensure that these supplies reach the targeted people? Such a measure has not been explained in the statement.

Though the public distribution system is a laudable measure, the experience shows that distribution is not properly done. The result is that the commodities do not reach the common man properly. There are several agencies in between the Government and the common man, who is at the receiving end. These agencies pilfer the supplies. Sometimes damaged

goods are substituted. Good varieties of foodgrains are taken out and substituted by the damaged goods. These are the things which are to be taken into consideration.

Besides, several mal-practices are going on. Fake family cards are printed and collected by the merchants who sell the foodgrains in the blackmarket. You have to ensure that the public distribution system works properly and that there is no pilferage in between and the common man gets the supplies meant for him, otherwise this laudable objective will get defeated.

Another point is that you want to give the supplies to the people at a particular price. In Tamil Nadu, for example, rice is being sold at Rs. 21/- per kilogram. In other States also it is being sold at such a price which is beyond the purchasing power of the common man. In such a situation I would like to know how this Government is going to supply the foodgrains to the people within their purchasing capacity. If the foodgrains are to be sold at Rs. 2/- to Rs. 3/- per kilogram, common man can afford to purchase what is the guarantee that the government supplies will reach the common man at those prices? All these things will have to be taken into account to see that the public distribution system run by the Central and the State Governments works successfully.

SHRI JOY NADUKKARA (Kerala): Sir, I congratulate the Government for taking this laudable decision, but the question is how this benefit would reach the people who are living below the poverty line. It is an admitted fact that our present public distribution system has not reached all the areas of the country. So, my question is how this benefit would reach crores of people living in the villages. It is reported that in three or four major cities of our country only five per cent of the people have access to this public distribution system. In some States it comes to around 10 per cent and 11 per cent, respectively. So most of the people

would not have any access to the public distribution system. So, I would like to know from the Minister what steps the Government intend to take to strengthen the public distribution system.

There is a mention in the statement about issuing of special cards. In this case there would be a scope for corruption. So, the photo of the card-holder should be affixed. It may be expensive. But considering the magnitude of corruption, it is absolutely necessary to affix a photo of the card holder. Then, I would like to know what is the income demarcated to identify people who are living below the poverty line. Would it vary from state to State or would it be the same in every State?

Lastly, considering the hike in the prices of essential commodities, I would like to know from the Minister whether he would consider raising the income level of poverty line from Rs. 1,500 per month to Rs. 1,800 per month. Thank you.

श्री राजनाथ सिंह (उत्तर प्रदेश): सर, अभी मंत्री जी ने स्टेटमेंट दी है इस स्टेटमेंट से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार ने मान लिया है, यह सरकार अल्पजीवी सरकार है, अल्प-आयु सरकार है और यह सरकार भी मानकर चल रही है कि संसद का मध्यावधि चुनाव सन् 1997 में ही होगा। अब मैं...(व्यवधान)

SHRI R. MARGABANDU: Mr. Vice-Chairman, Sir, I am on a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): What is your point of order?

SHRI R. MARGABANDU: I would like to know from you whether a Member of this House can sleep while a debate is going on in this House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): The Member can close his eyes and then sleep—what is wrong?

SHRI V. NARAYANASAMY: How does Mr. Margabandu know that a Member is sleeping in this House? We

can't know about that until and unless he himself has got this experience.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): I do not know. Mr. Margabandu might have seen some Member while sleeping. But the ruling of the House is that there is nothing wrong if a Member closes his eyes and thinks.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: The Prime Minister has set an example for the country when he is supposed to be dozing or sleeping, then, he is really thinking about the country's problems and its future.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): This is what I am saying because there is a very thin line. If it is a very thin line, then, you do not know whether a Member is sleeping or thinking. It is difficult for the Chair to know about it from here.

SHRI PREM CHAND GUPTA (Bihar): Nobody should close his eyes. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): The ruling is that Members can't sleep, but they can close their eyes and think. On this, the Chair can't give a ruling.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: He should not snore either.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Yes. That is there.

श्री राजनाथ सिंह: सर, देश की अर्थव्यवस्था दिनोंदिन बर्बाद होती जा रही है केवल इसी कारण से कि विगत पचास वर्षों में जिन पार्टियों की सरकारें बनी हैं सचमुच इन सरकारों ने इस देश को ध्यान में रखकर अपनी आर्थिक योजनाएं नहीं बनाई हैं बल्कि सरकार बनानी हैं और चलानी हैं इस बात को ध्यान में रखकर अपनी योजनाएं बनाई हैं। अभी जो स्टेटमेंट आया है इस स्टेटमेंट के फर्स्ट पैरा के फर्स्ट सेन्टेन्स की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

"A well targeted and properly functioning public distribution system is an important constituent of the strategy for poverty eradication."

श्रीमन् इस स्टेटमेंट से तो यही लगता है कि जैसे किसी भिखारी को हम भिक्षा देने के बाद वह कहें कि मैं भिखारी की गरीबी को काफी हद तक दूर कर दिया है। क्या यह एक इम्पार्टेंट कॉन्स्टीट्यूट हो सकता है पावर्टी एण्डिकेशन का? यह मैं मान लेता हूँ कि किसी गरीब के ऊपर आप कोई दया कर रहे हैं, कोई रहम कर रहे हैं।

यह जो आप थोड़ी बहुत सहायता कर रहे हैं, इसमें भी आप सारे देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप इन्फ्यू प्राइस बढ़ा रहे हैं, ओपन मार्केट में प्राइस बढ़ा रहे हैं और इस स्कीम के माध्यम से आप 10 किलोग्राम दे रहे हैं। लेकिन 10 किलोग्राम में कोई अपने परिवार की परवरिश नहीं कर सकता है। अन्ततोगत्वा, उसको ओपन मार्केट में अपने पूरे परिवार का पेट भरने के लिए जाना ही होगा। एक सच्चाई ज़रूर मंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि इस देश में 32 करोड़ पापुलेशन ऐसी है जो कि पावर्टी लाइन से नीचे जीवन निर्वाह कर रही है। यहाँ पर हमारे कॉग्रेस के सम्मानित सदस्य बैठे हैं। जब इनकी सरकार थी तो तत्कालीन वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह ने 1995 में कहा था कि 1991 से आज तक जब से आर्थिक सुधारों का सिलसिला इस देश में शुरू हुआ है उसके बाद देश में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वालों की संख्या घटी है और वह घटकर 19 फीसदी, 19 परसेंट हो गई है। मंत्री जी ने कम से कम इस सच्चाई को तो स्वीकार कर लिया है कि 19 परसेंट पापुलेशन नहीं बल्कि 35 परसेंट पापुलेशन जो है वह पावर्टी लाइन के नीचे जीवन निर्वाह करने के लिए मजबूर है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन निर्वाह करने वाले महीनों का विचार करने में, उनके ग्राइवेंटीफिकेशन करने में आपने कौन से मानदंड अपनाए हैं? आशा है मंत्री जी इसकी जानकारी हमें देंगे।

मैं मंत्री जी से एक अनुशेष भी करना चाहूँगा। हमेशा सरकार बनने और सरकार चलाने की बात को ध्यान में रखकर ही सरकार द्वारा कौन कौन कदम उठाए जाते हैं? क्यों नहीं आज की सरकार, जो कि बहुत सारे लम्बे-चौड़े वायदे करने वाली सरकार है वह क्यों नहीं एक कम्प्रीहेंसिव एकॉनामिक पॉलिसी पर विचार करती है ताकि हम इस देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बना सकें। लोक-सुभावन नारों के आधार पर सली लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं उस आधार पर इस देश की अर्थ-व्यवस्था की आप सुदृढ़ आधार

कदापि नहीं दे सकते हैं। मंत्री जी ने यह भी कहा है कि पी-डी-एस सिस्टम की बहुत आलोचना होती है इसलिए हम एक नया तोहफा इस देश के गरीबों के लिए लेकर सामने आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पी-डी-एस की आलोचना करने का जवबसर किसी को नहीं मिलेगा और यह अवसर इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने मोनेटरिंग सिस्टम और ज्यादा एफेक्टिव बना लिया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मोनेटरिंग सिस्टम को एफेक्टिव बनाने में आपने कौन से प्रभावी कदम उठाए हैं, कौन से सुधार आपने मोनेटरिंग सिस्टम में किए हैं ताकि आपका पी-डी-एस सिस्टम एफेक्टिव रूप से, प्रभावी रूप से काम कर सके?

दूसरी चीज जो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ वह यह है कि टू-टियर प्राइस सिस्टम, दोहरी मूल्य व्यवस्था होने के कारण देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है, इसको हर व्यक्ति मानता है। गांव का एक अदना सा, सामान्य व्यक्ति भी स्वीकार करता है और एक अर्थ-शास्त्री भी इस बात को स्वीकार करता है। लेकिन श्री-टियर प्राइस सिस्टम हो जाने से, तिहरी मूल्य व्यवस्था हो जाने से क्या भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा? भ्रष्टाचार यहाँ अब तक जितना था, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि श्री-टियर सिस्टम के लागू होने के बाद यह दुगुना या तिगुना हो जाएगा। इसलिए यह भ्रष्टाचार न बढ़े, इसको रोकने के लिए मंत्री जी से, कौन से प्रभावी कदम उठाए हैं, मैं इस बात की जानकारी चाहूँगा। धन्यवाद।

श्री वसन्त अहमद (उत्तर प्रदेश): आप अपनी ओर से दो-चार सुझाव तो दे दीजिए।

श्री राजनाथ सिंह: जब इस पर चर्चा होगी तो सुझाव भी दूंगा। मैंने पहले ही कह दिया है कि एक कम्प्रीहेंसिव एकॉनामिक पॉलिसी पर विचार होना चाहिए।

श्री नरेश यादव (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, सरकार बनाने और चलाने की परकह किए बिना हिन्दुस्तान के 32 करोड़ गरीबी की रेखा से नीचे जीने वालों के लिए माननीय मंत्री जी ने जो आश्चर्यचोचकाना की है, मैं उसका स्वागत करता हूँ।

श्री राजनाथ सिंह: सबसे कम गरीब बिहार में हैं ... (व्यवधान) ...

श्री नरेश यादव: मैं जोगी जी का सहयोग करना चाहता हूँ। उन्होंने जो धार सुझाव दिए हैं उसमें एक सुझाव देना छोड़ दिया जो उनको छोड़ना नहीं चाहिए था। पैर 4 में है कि...

श्री अजीत जोशी: यह आपके लिए छोड़ा है।

श्री नरेश यादव: मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। मैं आपका काम पूरा कर रहा हूँ। पैरा में है कि:

“सरकार का सुनिश्चित रोजगार स्त्री और जवाहर रोजगार योजना के तहत लाभभोगियों के लिए भी”।

हमारा माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा कि इसमें यदि वे जवाहर रोजगार योजना को भी जोड़ दें तो शहरों में जो गरीब मजदूर हैं, उनको भी इसका फायदा मिल जाएगा, नकार चार मेरा सुझाव यह है। साथ ही साब माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि विशेष परिवारों को विशेष राशन कार्ड जारी कर के सुदुर्गामी प्रणाली को बेहतर मोनिटरिंग करके आप बचाएंगे। निश्चित तौर से इतनी जल्दी में राशन कार्ड नहीं बनाए जा सकते हैं। जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं उनको आप कैसे लाभ पहुंचावेंगे, कितना समय आपको देना पड़ेगा, राशन दुर्हवा करना पड़ेगा जबकि हिंदुस्तान में बिना फोटो कार्ड के वोट दिलवाया जा सकता है तो ऐसी व्यवस्था आपको करनी होगी जब तक कि राज्य सरकारें राशन कार्ड नहीं बनाती हैं तब तक कौन सी व्यवस्था आप करने जा रहे हैं जिससे गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले को इसका लाभ मिल सके?

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक और आग्रह करना चाहता हूँ और उनसे देना चाहता हूँ। इस हिंदुस्तान में जो लोग नदी के किनारे रहते हैं, उस पार रहते हैं जिसको दियाप कहते हैं। ऐसे लाखों की संख्या में गरीब लोग हैं जिनको राशन कार्ड मालूम नहीं है, सरकार द्वारा दी जाने वाली विशेष सुविधा की जानकारी नहीं है। ऐसे लोग जो नदी के किनारे रहते हैं, जो दियाप क्षेत्र में रहते हैं, उनके लिए माननीय मंत्री जी, आपने क्या व्यवस्था की है? वह मैं जानना चाहता हूँ। कई साधियों ने इस की मोनिटरिंग पर सवाल उठाया है कि कैसे इसका सफल संचालन होगा। इसके बारे में कोई न कोई सही निर्देश होना चाहिए। अपने हिंदुस्तान के गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए यह कदम उठाया है क्योंकि अपने गरीबों को ऐसा है, आपके दिल में गरीबों की प्रति दृढ़ है, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद।

श्री उत्तापुष्प अंसारी (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के द्वारा, सरकार के द्वारा जो इस स्त्री की योजना की बात है, उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन मुझे यह कहना है कि माननीय मंत्री जी ने एलान किया था कि 26 जनवरी, 1997 से नव

पीडीएस पूरे देश में लागू हो जाएगा। जहां तक मेरी जानकारी है यहां पर एलान तो कर देते हैं लेकिन उसको जो तैयारी होनी चाहिये वह आप नहीं करते हैं। इस सिलसिले में 15000 रुपये से नीचे जिनकी आय है, उनको गरीबी की रेखा के नीचे माना जाएगा। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि इस दिशा में इनका कार्ड अभी तक नहीं बनाया गया, अभी तक सूची नहीं बनाई गई है। मैं बिहार को जानता हूँ और बिहार राज्य का हूँ, प्रखंडों में, ब्लाक्स में कुछ सूचियां हैं लेकिन वह अधूरी हैं, पूर्ण नहीं हैं। जहां तक कार्ड बनाने का सवाल है, अभी तक कार्ड नहीं बने हैं और राज्यों को इस स्कीम के लिए गेहूं की आपूर्ति भी नहीं की गई है। बिहार की जानकारी मुझे है। मैंने बिहार के खाद्य आपूर्ति मंत्री से भी बात की है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अभी तक कोई गेहूं आया नहीं है और जो सूचियां पुरानी हैं, वह सही नहीं हैं। इसलिए मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह होगा कि क्या राज्य सरकारों को आपने निर्देश दिया है, यदि दिया है तो कब दिया है? और यह सूची कब तक बन जाएगी इसकी कोई समय-सीमा तय होनी चाहिए ताकि इनकी सूची बन जाए, कार्ड बन जाए और आप गेहूं और चावल की आपूर्ति उनको कीजिए, तभी इन गरीबों को आप प्रतिमाह दस किलोग्राम गेहूं या चावल सस्ते दर पर, आधी कीमत पर, आपका जो प्रस्ताव है, उसका लाभ उनको मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि यह लाभ उन गरीबों को मिले। हमारे साधियों ने आलोचना की है। बहुत सारे राज्यों में तो पीडीएस नाम की कोई चीज ही नहीं है। कुछ केरल और बंगाल जैसे राज्य हैं जहां पर यह जारी है। लेकिन कुछ राज्यों में तो गेहूं, चावल जाते हैं वह सरकारी दुकानों के माध्यम से लोगों को मिल भी नहीं पाते हैं। यह बिल्कुल सच्चाई है और इससे इंकार नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारे साधियों ने मोनिटरिंग का सवाल उठाया। राज्य सरकार इसकी मोनिटरिंग करेगी तो राज्य सरकार और आपका क्या कोऑर्डिनेशन होगा, यह मालूम नहीं है। अगर वह मोनिटरिंग सही तरीके से नहीं होगा तो जो गेहूं और चावल आप देंगे वह बाजार में बिक जायेंगे, ब्लैक मार्केटिंग में चले जायेंगे और जिन गरीबों को हम राहत दिलाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, उनको यह लाभ नहीं मिल जाएगा। यह एक जर्बदस्त सवाल है जिसको कि गंधीरता से, संजीदगी से सरकार को विचार करके इन समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि 26 जनवरी को यह स्कीम लागू करने का आपने एलान किया था, इस सिलसिले में कितनी राज्य सरकारों ने आपको सूचना दी

है कि इस संबंध में कोई कार्यवाही की है और कितने राज्यों को आपने गेहूँ और चावल की आपूर्ति की है? इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहूँगा कि क्या किसी राज्य सरकार ने इस स्कीम को लागू करने में अपनी असमर्थता भी जाहिर की है? अगर की है तो यह भी सदन के सामने आना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस स्कीम को लागू किया जाए, लेकिन इसकी पूरी तैयारी करके, जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं और बुरी हालत में हैं, सही मायनों में उनको इसका लाभ मिल सके। इसके लिए आप सिर्फ एलान नहीं कीजिए, बल्कि इसके लिए ठोस तैयारी करके राज्य सरकारों के माध्यम से आप गेहूँ मुहैया करके और सही मायनों में कब तक इसको लागू करना चाहते हैं इसके लिए एक टाइम बाउंड प्रोग्राम अपनाकर होना चाहिए। हम आपसे जानना चाहेंगे और पूरा हाउस जानना चाहेगा कि वह टाइम बाउंड प्रोग्राम आपका क्या है और कब से इसको फुल-फ्लैज रूप में लागू करना चाहते हैं? इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करूँगा।

الاشقرى جلال الدين انصارى "بہار":

اپ سبھا اور عدلیکس مہودے۔ میں مانیتہ
منتری جی کے حوالہ ۵۔ سرکار کے حوالہ ۵
جو اس اسکیم کی گنجائش کی ہے اسکا
سموار گت کر تا ہوں۔ لیکن مجھے یہ کہنا ہے۔
کہ مانیتہ منتری جی نے اعلان کیا تھا کہ
۲۶ جنوری ۱۹۹۷ء سے نیا پی۔ ڈی۔ ایس
پروڈیویشن میں لاگو ہو جائیگا جہاں
تک میری جانکاری ہے یہاں پر اعلان تو
کر دیتے ہیں لیکن اسکو جو تیاری ہونا چاہیے
وہ آپ نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں
۱۵۰۰۰ روپے سے نیچے جتنی رقم ہوتی ہے۔
انکو غریبی کی رینک کے نیچے مانا جائے گا۔

میں مٹری جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس خنا
میں انکا کارڈ ابھی تک نہیں بنایا گیا۔
ابھی تک سمو جی نہیں بنائی گئی ہے۔ میں
بہار کو جانتا ہوں۔ پروفیسر میں۔
بلاکس میں کچھ سمو جیاں ہیں لیکن
وہ ادھوکی ہیں۔ ہون نہیں ہیں۔
جہاں تک کارڈ بنانے کا معاملہ ہے ابھی
تک کارڈ نہیں بنے ہیں اور راجیوں کو
اس اسلم کیلئے گیسوں کی آپورٹی بھی
نہیں کی گئی ہے۔ بہار کی جانکاری کچھ ہے۔
میں نے بہار کے ٹھکانہ آپورٹی مٹری سے
جو بات لی ہے۔ انھوں نے کہا کہ اس سمونڈ
میں ابھی تک کوئی گیسوں آیا نہیں ہے
اور جو سمو جیاں پرانی ہیں وہ بھی
نہیں ہیں۔ اس نے میرا پیر مشن مٹری جی
سے یہ ہو گا کہ کیا درجہ سرکاروں کو
آپنے فردیش دیا ہے بدی دیا ہے تو کب
دیا ہے۔ اور یہ سمو جی کب تک بن جائیگی
اسکا کوئی سے۔ سیدھے ہونی چاہئے۔
تاکہ انھی سمو جی بن جائے۔ کارڈ بن جائیگی
اور آپ گیسوں اور چلول کی آپورٹی انکو
کےجے۔ جسوی ان ٹرمینل کو آپ پرتی ماہ
دس کلو گرام گیسوں کا چاول سسٹے در
پر۔ آدھی قیمت پر۔ آپ کا جو پرستار
ہے۔ اسکا لاء اکثر مل جائیگا۔ میری

سرکاروں نے آج کو صوبہ چناری ہے کہ اس
 سمبندھ میں کوئی کارروائی کی ہے اور
 لکھے راجیوں کو اپنے گیسوں اور چاول
 کی ضرورت کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
 یہ بھی جاننا چاہیے کہ کیا اس راجیوں
 نے اس اسکیم کو لاگو کرنے میں اس وقت
 تاخیر کی ہے۔ اگر کی ہے تو یہ بھی
 آنا چاہیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس اسکیم کو لاگو
 کیا جائے۔ لیکن اس کی پوری تیاری کر کے جو
 غریبی کا ریکارڈ سے نیچے جیوں وینٹ کر
 ہے ہیں اور پوری حالت میں ہیں۔
 محضوں میں انکو اسکا لاجو مل سکے اس کے
 سے صرف اعلان نہیں کیے بلکہ اس کے
 محضوں سے تیاری کر کے راجیوں سرکاروں کے
 مادھیم سے آپ گیسوں میں ان کے اور
 مسنون میں کب تک اسکو لاگو کرنا چاہیے
 ہیں اس کے لئے ایک ٹائم باؤنڈ پروگرام
 آجکا ہونا چاہیے۔ ہم آپ سے جاننا چاہیے
 اور پورا علاقوں میں جاننا چاہیے کہ وہ ٹائم
 باؤنڈ پروگرام آجکا لیا ہے اور کب سے اسکو
 عمل میں رکھیں گے اس میں لاگو کرنا چاہیے ہیں۔
 انھیں مشوروں کے ساتھ میں اپنی بات
 سمایا کرتا ہوں۔ [ختم شد]

چاہتا ہوں کہ یہ لاجو ان غریبوں کو ملے۔
 ہمارے ساتھیوں نے آج کو چناری ہے۔
 بہت سارے راجیوں میں تو یہی ہے۔ وہ اس
 نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کچھ کیرل اور
 ہنگال جیسے راجیوں میں جہاں پر یہ ضروری
 ہے۔ لیکن کچھ راجیوں میں گیسوں۔ چاول
 جاتے ہیں وہ سرکاری دکانوں کے مادھیم
 سے لوگوں کو مل بھی نہیں پاتے ہیں۔
 یہ بالکل سچی بات ہے۔ اور اس سے انکار
 نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے ہمارے ساتھیوں
 نے مانیٹرنگ کاسٹل آٹھایا۔ راجی
 سرکار اسکی مانیٹرنگ کر رہی تو راجیوں
 اور آپکا لیا اور کریشن ہو گا۔ یہ معلوم
 نہیں ہے۔ اگر وہ مانیٹرنگ صحیح طریقہ
 سے نہیں ہو گا تو جو گیسوں اور چاول آپ
 دینے وہ بازار میں بک جائیں گے جلیک
 مارکیٹ میں چلے جائیں گے۔ اور جو غریب
 تو ہم راحت دانا چاہتے ہیں۔ دینا چاہتے
 ہیں۔ انکو یہ لاجو نہیں مل پائے گا۔ یہ
 ایک زبردست سوال ہے جسکو کہ سمجھنا
 ہے۔ سمجھنا ہے کہ سرکار کو چاہئے کہ
 ان سمسٹروں کا حل نکالنے کی کوشش
 کرنا چاہیے۔ اس کے میں کہنا چاہتا ہوں
 کہ ۲۶ جنوری کو یہ اسکیم لاگو کرنے کا اپنے
 اعلان کیا تھا۔ اس سلسلے میں کئی راجی

भाषण की कोई बड़ी आवश्यकता नहीं लगती। इनकी जो योजना है इस पुस्तक के अनुसार यह सशर्त योजना है और यह केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जो यह सुनिश्चित कर सकें कि आर्बिट्रल ख्याति उचित दर पर दुकानों तक वास्तव में पहुंचाया जा सकेगा और भी कई शर्तें लगाई गई हैं और इसके पहले प्रधान मंत्री जी स्वयं कह चुके हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की बहुत समस्याएँ हैं। उनमें बड़ी कमजोरियाँ हैं। निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी को यह जानकारी होगी कि कौन-कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ गड़बड़ियाँ होती हैं। क्योंकि अगर इस पुस्तिका को सही माना जाए जिन राज्यों में गड़बड़ियाँ हैं वहाँ पर इस योजना के तहत खयाल उसे दिया जाएगा। ऐसा इसमें लिखा हुआ है। मैं यह कर सुना दूँ। राज्य सरकारों को गरीबों के लिए खयाल या राज्य सहायता का प्रावधान होकर राज्य द्वारा ऐसी संतोषजनक व्यवस्था करने की शर्त के अधीन होगा। यानी जो इस शर्त का पालन नहीं करेगा उन राज्यों को यह सहायता आप नहीं देगे। इसको आप स्पष्ट करें कि वास्तविक स्थिति क्या है? यानी भविष्य में किसी राज्य सरकार द्वारा कोई गड़बड़ी की जाएगी तो क्या आप अपनी योजना उसे बीच में बंद कर देंगे या वहाँ खयाल की आपूर्ति बंद कर दी जायेगी। ये सारी बातें स्पष्टतः सदन को बताई जानी चाहिए।

मंत्री जी, मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि यह गरीबी की रेखा की परिभाषा क्या है? विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार हमारे देश की औसत आमदनी 310 डॉलर है यानी लगभग साढ़े 9 हजार रुपये प्रति वर्ष। अब इसे परिवार के आधार पर जोड़ा जाएगा या प्रति व्यक्ति की आमदनी के आधार पर, यह आप तय करेंगे। मान लीजिए किसी परिवार की वार्षिक आमदनी 45 हजार या 50 हजार रुपये साल की है तो उसे आप गरीबी रेखा से नीचे मानेंगे या ऊपर मानेंगे? यह बात स्पष्ट कर दी जानी चाहिए। इस में गरीबी रेखा के नीचे की आबादी की पहचान करने के लिए कोई स्पष्ट अवधारणा नहीं बताई गई है। यह अवश्य कहा गया है कि लाकडावाला समिति ने एक नीति बताई है, उस के आधार पर आप ने तय कर लिया है। इस तरह से लुकने-छिपने से काम चलने वाला नहीं है। जो पात्र परिवार हैं, उन की स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए। ऐसी परिभाषा होनी चाहिए कि अगर किसी पात्र परिवार को यह विशेष राशन कार्ड नहीं मिलता तो वह अदालत में जाकर वह राशन कार्ड प्राप्त कर सके क्योंकि आप ने स्वयं अपनी योजना में यह माना है कि जो विशेष राशन कार्ड हैं, वह करेंसी नोट की तरह हैं। यह आप की योजना में लिखा है। अगर आप के

राशन कार्ड नोट की तरह महत्वपूर्ण है तो फिर देश के नागरिकों को जो इस के लिए पात्र हैं, उन्हें यह अवश्य मिलने चाहिए और अगर नहीं मिलता है तो जिस की वजह से नहीं मिलता है, उसे दंडित करने का भी प्रावधान होना चाहिए। मगर आप ने ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। मैं चैयरमैन साहब, आप के माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या आप ऐसा कोई प्रावधान करेंगे जिससे कि जो पात्र परिवार हैं, उन्हें यदि राशन-कार्ड नहीं मिले तो वह कानूनी रूप से उसे प्राप्त कर ले और किसी राजनीतिक दल की दया और कृपा या किसी नेता की दया और कृपा पर उन की पारता निर्भर न हो।

वैसे अगर मंत्री जी होते तो अच्छा होता।

प्रो० राम कापसे: मान्यवर, हम कंटेरीफिकेशंस पूछ रहे हैं तो मंत्री जी का यहां होना जरूरी है।

THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF PARLIAMENTARY
AFFAIRS (DR. U.
VENKATESWARLU): I am taking
down notes.

इस्यत मंत्री तथा खान मंत्री (श्री जी० प्रसाद वैश्य): वह आ गए हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G.
SWAMINATHAN): You cannot be too
strict with the Minister. You have to
allow him some time to retire.

श्री नेन्द्र मोहन: मंत्री जी, मैंने आप की अनुपस्थिति में एक बात पूछी कि यह विशेष राशन कार्ड जो कि करेंसी नोट की तरह है, तो जो पात्र परिवार हैं, वह इस से वंचित न होने पाएं। वे कानूनी रूप से इसे अवश्य प्राप्त कर सकें, ऐसा कोई प्रावधान आप ने किया है या नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो क्या आप ऐसा कोई प्रावधान करने जा रहे हैं?

आप ने अपने स्टेटमेंट में लिखा है कि हमारे देश में लगभग 20 प्रतिशत राशन कार्ड फेक जारी कर दिए जाते हैं। इस का मतलब है कि लगभग 6 करोड़ ऐसे लोगों को आप राशन कार्ड दे देंगे जोकि इस के पात्र नहीं हैं। इसे रोकने के लिए क्या आवश्यक व्यवस्था आप ने की है? क्या मंत्री जी, आप कोई ऐसी व्यवस्था के बारे में सोच रहे हैं कि यह जो 20 प्रतिशत का आप ने आंकड़ा दिया है, इस आंकड़े के तहत अगर कोई आ जाये तो उसे दण्ड दिया जा सके? क्या ऐसा कोई प्रावधान आप ने बताया है?

मंत्री जो, मैं आप से यह भी जानना चाहता हूँ कि आप ने जवाहर रोजगार योजना या स्व-रोजगार योजना के तहत गरीब लोगों को शामिल करने की बात सोची है और गांव के लोगों को एक किलोग्राम गेहूँ या चावल देने की बात कही है, अब गेहूँ का मूल्य है ढाई रुपये और चावल का मूल्य है साढ़े 4 रुपये तो यह भेद क्यों रखा गया है? जब आप का राशन कार्ड एक करेंसी नोट की तरह है, जैसा कि आप ने लिखा है तो गेहूँ खाने वाले को भी आप साढ़े 4 रुपये तक का अनाज दे दें। अगर आप ने साढ़े 4 रुपये की सीमा निर्धारित कर दी है तो यह साढ़े 4 रुपये का अनाज हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, फिर चाहे वह जवाहर रोजगार में आता है या आप की स्वरोजगार योजना में आता है। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं कारण जानना चाहता हूँ, जिनकी वजह से आपने ऐसा नहीं किया।

महोदय, आप चाहते हैं कि गिरामी होनी चाहिए। यह गिरामी कौन करेगा? आपने बताया कि पंचायती और नगरपालिकाओं को उचित दर दुकानों के कार्य के पर्यवेक्षण और गिरामी की जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव है। अब इस प्रस्ताव को कानूनी जामा कौन पहनाएगा? क्या भारत सरकार इस प्रस्ताव को कानूनी जामा पहनाने जा रही है या राज्य सरकारें पहनाएंगी? यह स्पष्ट होना चाहिए। केवल यह कह देना कि अमुक अमुक प्रस्ताव सही नहीं है, मैं समझता हूँ कि केवल प्रस्तावों के सहारे इतनी महत्वपूर्ण परियोजना को चलाना उचित नहीं है। क्या मंत्री महोदय, आप इस बारे में कुछ निश्चित व्यवस्था बनायेंगे?

महोदय, ऐसे ही पात्र परिवारों के बारे में आपने कई बार कहा है, कई स्थानों पर कहा है कि पंचवर्षीय सर्वेक्षण से संबद्ध आधार हो सकता है। आप लिखते हैं कि ग्राम-सभाओं को इस कार्य में शामिल किया जाना चाहिए। आपकी योजना कोई निश्चित है या केवल आप एक धारणा मात्र विचार के लिए देश को दे रहे हैं? यह क्या स्थिति है? आपने कुछ भी नहीं किया। फिर, आप कहते हैं कि जहाँ तक शहरी आबादी का संबंध है, गंदी बस्ती में रहने वाले जो भी लोग हैं सभी को गरीबी की रेखा के नीचे मान लिया जाए। यह कौनसी परिभाषा है? गंदी बस्ती में, दिल्ली की गंदी बस्तियों में तो टेलीविजन लगे हुए हैं, लोग स्कूटर रखते हैं, क्या उनकी भी आप गरीबी की रेखा के नीचे मान लेंगे? आखिर गरीबी की आपकी अवधारणा क्या है? यह जो आपने लिखा है कि गरीबी की रेखा के नीचे उन लोगों को लिया जाए, जो गंदी बस्तियों में रहते हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं

आई। आप कृपा करके इसे स्पष्ट कर दें। वे मानदण्ड स्पष्ट कर दिए जाने चाहिए, जिनके आधार पर आप पात्रता निर्धारित करने जा रहे हैं। अगर मानदंड स्पष्ट नहीं होंगे तो निश्चित रूप से इस योजना का दुरुपयोग होने वाला है। मंत्री महोदय, आप इस बात को मान लें।

महोदय, आप कहते हैं कि 32 करोड़ लोगों को आपने इस योजना में कवर किया है। बात बहुत अच्छी है, लेकिन माननीय मंत्री जी, आप देखें आज उत्तर प्रदेश में लगभग एक करोड़ परिवार ऐसे हैं, जिन्हें राशन कार्ड दिया जाना है, तो क्या आप बता सकते हैं कि इन एक करोड़ परिवारों को राशन कार्ड कितने दिनों में मिल जाएगा या कितने महीनों में मिल जाएगा? आप यह भी कह रहे हैं कि अच्छा यह होगा कि हर राशन कार्ड के ऊपर परिवार के मुखिया का चित्र चिपका हुआ हो। अभी हमारे शेषण साहब ने बड़ी चेष्टा की थी कि एक आइडेंटिटी कार्ड बन जाए, लेकिन वह आइडेंटिटी कार्ड नहीं बनवा सके। क्या आप इन 32 करोड़ लोगों के लिए आइडेंटिटी कार्ड बनवाने जा रहे हैं? क्या आप उत्तर प्रदेश में एक करोड़ लोगों के लिए आइडेंटिटी कार्ड बनवाने जा रहे हैं? अगर बनवाने जा रहे हैं तो इस कार्य को आप कब तक पूरा करेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार या बिहार सरकार, बिहार में जो लगभग 70 लाख परिवार हैं उनकी भी जिम्मेदारी लेने को क्या तैयार हैं। अगर आप पूछेंगे तो बहुत सी राज्य सरकारें इस प्रकार के राशन कार्डों की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होंगी, जिनके ऊपर कि मुखिया का चित्र चिपका हुआ हो, जैसा कि आपकी योजना के अनुसार होना चाहिए। मंत्री जी, कृपा करके आप स्पष्ट करें कि आपकी योजना क्या है?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Kindly conclude. You have already taken more than 10 minutes.

श्री नरेन्द्र मोहन: एक मिनट और लेकर खल करूँगा।...

श्री वसीम अहमद (उत्तर प्रदेश): आपकी क्लेरिफिकेशन इतनी हो गई, लेकिन एक चीज भी आपकी पसंद नहीं आई।

श्री नरेन्द्र मोहन: मैं योजना को सिद्धांततः स्वीकार करता हूँ... (व्यवधान)...

SHRI NARENDRA MOHAN: I am only putting questions. I will conclude in one minute.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Kindly conclude.

श्री नरेन्द्र मोहन: महोदय, एक मिनट लेकर खतम करूंगा, अगर आप अनुमति दें। मंत्री महोदय, आपने कहा कि सतर्कता समिति बननी चाहिए देश भर में, लेकिन देश भर में अभी तक जिस किसी राज्य में सतर्कता समिति जहाँ बनाई गई है वहाँ फेल हो गई है। तो उन्हें ठीक करने के लिए आपके पास क्या कोई योजना है? अगर है तो कृपा करके बता दें।

इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद।

SHRI HILTOPAL BASU (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, at the very outset we would like to congratulate the Government on may counts for initiating this scheme. Many of us from this side and that side were fighting for a proper definition of using the methodology of Lakdawala Committee as has been accepted by the Government. I also would like to congratulate the Government on a second count. We have discussed the question of poverty, poverty line and the strategy towards poverty eradication. However, the question of emphasising food security has been number one among these problems. Some of the friends have been raising this point. How has this point constituted an element of poverty eradication? I think he has missed many of the points that have been discussed and debated many times in this House. Many senior Members from that side of the floor have themselves made this point about inter-connections between food security and poverty eradication. Mr. Vice-Chairman, Sir, I am afraid that in many of the questions that have been raised, there is a tinge of suspicion. Many of the people would have liked if this programme had been taken up by some other Governments earlier. But unfortunately, that was not to be and it has been the responsibility of this Government to implement these schemes and therefore, we congratulate this Government. Very legitimate questions have been raised regarding the implementation of the

scheme because it is a very complex scheme and there is a lot of complexity. Jogiji has raised very pertinent questions, it is a very gigantic task and it is very difficult to really emphasize on this, in how many days, in how many months this can be properly implemented with the cooperation of the State Governments. That is my first question. I think we have to understand that the quality of delivery of this scheme will depend on the effectiveness of the State Government and it is so because in many States there is virtually nothing like PDS. Mr. Fernandes referred to West Bengal. I think we need not defend our record on this question. It is quite evident. But the point is that we are understanding that it is on the level of efficiency of the State Government that the quality of the delivery system of this scheme will depend. Is it not? My second question is, if it is so, if there is any lag on the part of the State Government, then, what will the Central Government do to enable the people living below the poverty line in those States when the State Governments are not effective enough, to take advantage of this scheme and to really see to it that the benefits are really reaching the poorer sections of the people below the poverty line in those particular States? Has this aspect been discussed? Now, there were some comments, some people have been commenting that this is a big fraud and there have also been calculations that for 450 how much could be given in those States and whether they will be drawing and all that stuff. So some people are more efficient in weighing things, we know it. But I also suspect that there is a tinge of unhappiness because some sections, precisely the traders, will be most hurt by this scheme, the poorer sections of the people, who are not having empowerment to really exist at a substantive level so far as food is concerned, have to go to this trading community in a distressed condition and pay through their nose for that kind of thing.

I don't know whether this frustration of the trading community is getting reflected in the deliberations of this House. A reference has been made to another vital point regarding identification of the beneficiaries at the grassroot level. After the enactment of the 73rd and 74th Amendment Acts, we have come to the conclusion, cutting across the party-lines, that implementation of any development scheme will depend largely on the effective functioning of the local bodies. In the guidelines that you issue to the State Governments, it is stated in general terms that the Gram Panchayats should be associated. What really is the space created for the Gram Panchayats and Nagar Panchayats for implementation of the scheme needs a little more elaboration. I would request the hon. Minister to elaborate this point further.

Another question which I would like to ask is about the proposal to pay wages partly in monetary terms and partly by way of foodgrains. We are equally aware, just as some of the Members here, of the weaknesses in the implementation of the JRY and EAS. But we have the common experience that in 1977 the then Government implemented a unique programme, the Food for Work Programme. It went a long way in supplementing the food security of the poorer sections of the people in this country. We have to draw from that experience. The Minister has made a passing reference to it in his statement. It would be better if he could elaborate how he intends to do it. What form is it going to take? What will be the wage component and the food component? Are the wages completely paid in foodgrains? It will be good if the hon. Minister clarifies this point a little elaborately.

There is a question on issue price increases. We have always been saying that food is one item which should be spared from price increases. But we appreciate the tremendous financial burden under which the Government is functioning. Notwithstanding the financial

burden, the Government has come up with this scheme. The fact that this Government has taken such a step will send a message to the people and it will empower the people in terms of food security. This action of the Government deserves our congratulations. This is not an act of benovolence, as some hon. Members described it. It will definitely have a positive impact on the economic development of the poor people. The poorer sections of the people need certain subsidies, particularly in a country like ours where around 40% of the people are living below the poverty line. So, we cannot get rid of the subsidies. But these subsidies should be better targeted. This is the essence of this programme. Therefore, we whole heartedly support this programme. I think we should spare this programme from politicisation. We know there are a lot of problems and complexities. The food proposed to be supplied under this programme will not be sufficient and it is not going to solve the problems being faced by the poorer sections of people in this country. But this is a good beginning. I feel all political parties should come together and ensure that this programme is implemented in the best possible way. I think that will be a good beginning in this direction.

With these words, I thank you, Mr. Vice-Chairman, for giving me this opportunity.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to seek certain clarifications from the hon. Minister of Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution. Though I feel that he will not be able to reply to our points, we are under obligation to put questions to him. Sir, with much fanfare, as per the Common Minimum Programme to which all of them agreed, all the leaders of the United Front were called to the meeting of the so-called Steering Committee to discuss this Targetted Public Distribution

System. Now, this document has come. Sir, I welcome the decision that has been taken by the Government in segregating people into those living below the poverty line, low income group and middle income group. It is not a noble idea. It was already there. It was discussed several times in this House by the hon. Members during the Congress regime. Several suggestions were given for giving more benefits to the people living below the poverty line. Now, it has come to shape.

Sir, it raises several issues. Sir, I suspect the intention of this Government in implementing this scheme. The reasons is that the Finance Minister says that there is a financial crunch and the Railway Minister says that he has no funds. The hon. Minister for Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution has to tell us straightway where from the Government will be able to mobilise Rs. 8,000 crores for this scheme. Sir, here I would like to tell you about my experience with this Government. The hon. Prime Minister goes to various States. He went to the North-Eastern region where he said that he is giving them Rs. 10,000 crores for the implementation of various programme; he went to Jammu and Kashmir and said that he is giving them Rs. 7,200 crores.

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa):
From where?

SHRI V. NARAYANASAMY: I don't know from where these funds would come. That is the whole trouble here. Then, he went to Orissa to visit the drought affected areas. There he said that a paltry sum of Rs. 50 crores would be given to that State. The Chief Minister of Orissa issued a statement that not even a single pie has been received by him in the last four months. Then Rs. 25 crores interim relief was announced for flood relief for the State of Tamil Nadu. They announced about Rs. 7 crores for my State, but so far we have not received even a single pie from them. This is the

State of affairs about the credibility of this Government, not to speak about implementation of various schemes.

SHRI R.K. KUMAR (Tamil Nadu):
What Mr. Narayanasamy says is that even this ten kilogram will not be given to them.

SHRI V. NARAYANASAMY: I am coming to the point. I am saying this by seeing their past record for the last eight months. Wherefrom will they be able to get Rs. 8,000 crores? This is a genuine question which the hon. Minister has to answer. Apart from that, they have divided the people into two income groups. There are 35.97 per cent people who are living below the poverty line. Then, they have 21.58 per cent and 25.86 per cent people who are also to be protected. What protection have they giving to them? Today, even an IAS officer is having a ration card. He is also getting sugar at subsidised rates.

SHRI JOHN F. FERNANDES: Even the Members of Parliament are having ration cards.

SHRI V. NARAYANASAMY: Yes, even the Members of Parliament are having ration cards. Sir, the poor people who constitute about 35.97 per cent and living below the poverty line are to be protected. Then the other people who constitute 21.58 per cent and 25.86 per cent are also to be protected. I want to know whether they have given any protection to them or not. They will not be able to sustain their living on their meagre income which is a little above the income of people living below the poverty line. I would like to know from the hon. Minister whether he has any package for these people. Sir, the guidelines that have been given are for anybody's interpretation. Now, by giving certain guidelines they have left it to the State Governments to decide. My experience with regard to State Governments is that they will decide according to their whims and fancies and according to their political considerations.

At the election time in Andhra Pradesh, there was an announcement to give rice at Rs. 20 kilo to the poor people. What happened to the scheme? It is everybody's knowledge.

DR. ALLADI P. RAJKUMAR (Andhra Pradesh): It is existing.

SHRI V. NARAYANSAMY: I know. That scheme was scrapped and the prices have been increased in Andhra Pradesh.

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: It has been done by the Congress. Do not forget that, Sir.

(SHRI AJIT P.K. JOGI in the Chair)

SHRI V. NARAYANSAMY: Therefore, Sir, the problem is with implementation of the scheme, as told by our hon. colleague, Shri Nilotpal Basu. It is everybody's concern. The Minister said that there was a monitoring system. Which monitoring system? I went through the document, Focus on the Poor, wholly. The hon. Minister is groping in the dark with regard to monitoring system. Once again, he leaves it to the State Governments. What is the position of the State Governments with regard to PDS? I am asking this cutting across party-lines.

The scheme is there in my State also. Let us gather statistics. Today, it is 24th February. People there have not got rice, sugar, wheat or kerosene. Food items have not been made available to them for the month of February till this date. This is my experience of my own State. When people go to ration shops, the shopkeeper would tell them to come after a week. When people go after a week, he would say that no kerosene had arrived, that no palm oil had been received and that no wheat had been received. I am not blaming the Central Minister but I am blaming the State Governments. They have no money to pay for the PDS consignment on time. When that being the case, the Minister says, if the State Governments want to increase the number of beneficiaries, they can do it at their own cost. Wherefrom the State

Governments get money? Today, most of the State Governments are bankrupt. They are not even able to pay for the salaries of their employees. Then, how will they be able to allocate more funds for PDS until and unless you give them the money?

Therefore, Mr. Minister, I have my own doubts about the effectiveness of this system. It is just like the 13 party United Front Government. The system is also going to be like that. Therefore, first of all, you must get assurances from the State Governments that they would implement it effectively. Now, you have identified the beneficiaries. Have the State Governments agreed? Please do not try to fool around with people. This scheme is good but you are not going to be successful because there are flaws in it and, therefore, I oppose it.

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir. I wholeheartedly congratulate the hon. Minister as well as the Prime Minister for this. This scheme was included in the Common Minimum Programme. This scheme has been based on the 1993-94 assessment by Prof. Lakdawala. In this connection, I would like to seek a clarification from the hon. Minister. A great injustice has been done to the people of Andhra Pradesh. Prof. Lakdawala's assessment has shown 23% population to be below the poverty-line. Actually, it is 34-35%. This scheme was implemented in Andhra Pradesh fourteen years ago by late Shri N.T. Rama Rao and even now it has been in existence. This scheme has been doing well in Andhra Pradesh. I would like the hon. Minister to give a thought to it as to how in Andhra Pradesh this distribution system has been implemented. I would like to know whether there will be any re-assessment with regard to the fixation of percentage of people below the poverty line. If it is not done, then there will be a great injustice to the people of Andhra Pradesh. I once again congratulate the Minister. I am sure the

Government will definitely implement it with the cooperation of the States. Thank you, Sir.

SHRI JOHN F. FERNANDES: Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak. Sir, this is a populist measure which gives an impression that elections are due because these schemes are basically announced on the eve of elections. We saw the schemes announced by the TDP in Andhra Pradesh. When the late Mr. N.T. Rama Rao was voted back to power through his scheme of Rs. 2/- per kg. rice, he came to the then Prime Minister, Shri P.V. Narasimha Rao, to get funds for this subsidised scheme. Mr. Narayanasamy has asked from where the Prime Minister will get the money. I hope the Prime Minister will not go to the World Bank. Sir, it is a laudable scheme because it is a charitable scheme. But charity cannot alleviate poverty, more so in India. I welcome this scheme provided it is implemented properly in this country. I am sure and I am confident that this will not be implemented properly because we do not have a proper system in our administration. The very Act passed in this Parliament, namely, Panchayati Raj and Nagarpalika Act, has not been implemented in many States. I raised this issue last time with regard to my own State. The powers are not given to the people down at the grassroot level. There is every possibility of this scheme being misused. The hon. Minister has mentioned an amount of Rs. 8,000/- crores which will go to 33 crores of people. I do not think that the Government is serious about it because these schemes are announced half-heartedly without having any field work. Therefore, I would like to know from the Minister what foolproof measures the Government has adopted with regard to photo identity cards. Who will fund the bill for these photo identity cards? We have seen how much we spent on the scheme of identity cards introduced by Mr. Seshan. I would like to know whether the money will be made

available to the States for this purpose because my State has no funds in its coffers even to give salaries for the month of January. We have only Rs. 3.5 lakh in the treasury. My Chief Minister is in Singapore and 20 people have joined him at the cost of the State exchequer. So, whether the Government will give money to the State Governments to have the photo identity cards. We are making a mockery of the whole system, more so this weak Government. I do not think there was any hurry for this Government to announce this scheme. Elections were not due. We were not withdrawing support. We know what Mr. V.P. Singh did in the past. He announced Mandal. Now, this Government has announced this scheme. What is the fate of the economy? What is the rate of inflation in this country? It has gone up from five per cent to eight per cent. So where are we heading for? Then blame that Dr. Manmohan Singh is shouting. Naturally, because they are going to destroy the economy. They do not have a proper financial system in this country to run the affairs to the nation. I would like to know from the Government whether they have split up this figure of 32 crores State-wise. How many poor people are there in my State of Goa? I know whatever PDS quota we are getting in Goa, it does not go to the people of Goa. It is smuggled from across my State to Karnataka. I said this in the past also. The Ministers are involved; the officials are involved in it. There is no control from the Centre. The Government should have foolproof measures to see to it that this scheme benefits the poorest of the poor. We are all for them. But, at the same time, I feel giving charity will not solve the problem of poverty in this country. Giving charity will not solve this problem. On the contrary, people will be compelled to buy foodgrains and sell it in the open market because they can also make some profit. I am sure without doing any field work, without outlining a proper scheme, without bringing a law to punish the guilty in case they are caught

misusing it—you cannot go ahead with the existing law—I do not think you will be able to implement this scheme.

And, I do not think that you will be able to implement the scheme successfully unless you have a proper law, foolproof law, with a special penal clause. Unless there is such a kind of law, it is very difficult to say that the benefit will reach the poorest of the poor. I do not think that this scheme would be implemented properly. The hon. Minister has mentioned that 10 kgs. of foodgrains would be given per family. I wanted to know what kind of yardstick he has applied for this. There can be a family of two persons, husband and wife. There can be a family of 10 persons. There can be a family of even 20 persons in our country. I do not think that they have applied their mind on this seriously. They have just announced the scheme. I do not think it is a balanced scheme because the very fact that each family would be given 10 kgs. flat, proves my assertion. What are they going to do in case there is a big family? I would like the hon. Minister to reply to all these queries.

FROF. RAM KAPSE: Sir, in para 5 on page two there is a mention about rates. I would like to know from the hon. Minister, before implementation of this scheme what the rates for A.P.L. in the ration shops were? Of course, the hon. Minister has mentioned what the total subsidy after implementation of the present scheme would be. I want to know what the subsidy given was before implementation of the scheme. The total subsidy given before implementation of the scheme will throw light on the issue of lower middle-class and low middle-class. According to your booklet there are about 42 crore people in this category and they are the real sufferers because of the new scheme. What is the Government going to do for these people? This is my first query.

The next query is, you have mentioned in the first paragraph of the statement

that the P.D.S. is not working properly as on date. you have given new guidelines, but at the same time, you are at the mercy of the State Governments. My second query is, if at all the State Governments follow the same system even where it is properly implemented, the situation is such that in cities like Mumbai, Delhi, Chennai, people get their ration on ration cards and in villages mostly it is sold through fair price shops. If at all anybody is going to be benefited, it would be the trader who get all these grains and who sells it in black market. What assurance will you give that this will reach, in the present form, the 32 crores who are below the poverty line? This I would like to know. I know your intentions are good. But only good intentions do not suffice. If you have a system, there should be proper implementation, proper help from the States and if you spend properly for implementation of the scheme in the States then only you will succeed. Therefore, we oppose it in the present form.

4.00 PM

SHRI E. BALANANDAN (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, a lot of ground has been covered by the hon. Members who spoke before me. I would just take a few minutes to share...

THE VICE-CHAIRMAN. (SHRI AJIT P.K. JOGI): Kindly be brief. The listed business was to be taken up at 3.30 p.m.

SHRI E. BALANANDAN: I would just invite the attention of the hon. Minister to a few things.

First of all, Sir, I must congratulate the Government on taking this bold step, in spite of the financial constraints faced by it. I hope everybody in the House would support this step. At the same time, Sir, with your permission, I wish to bring to the notice of the House as well as to the notice of the Minister the position in Kerala.

In Kerala, we are having a system of statutory rationing. We are not having sufficient rice and wheat. We have to get it from outside. Always, the prices of rice and wheat are high. Therefore, in our State, for long, we have been having our own system of statutory rationing. Under this system, everybody would get rice and wheat from the ration shop. We are having a distribution system which is the best in India, I must say.

Simultaneously, to arrest the price rise, we have introduced a system which is called 'Maveli Stores'. Under this, all the essential articles are bought by a public sector system from the wholesale centres and sold to the public at moderate price, on a 'no profit — no loss' basis. This always keeps the prices down. Sir, we are a State who have to depend on the other States for everything. But by introducing this system, we were able to control the prices all along.

I would, therefore, request the hon. Minister that while introducing this new scheme throughout the country, the statutory rationing system obtaining in Kerala should be taken into account. In some parts of the State, as an experiment, it can be tried. I know what some people, some well-to-do people, would have to be excluded. Their number is very few. At the same time, in the rural areas, the statutory rationing system has to continue.

I referred to the system of 'Maveli Stores' in operation in Kerala. That is again a system by which the Government intervenes to buy essential commodities from the production centres at wholesale prices and bring it to the distribution centres, open shops and sell the articles at moderate prices, neither making profit nor incurring loss. This arrests the prices of the essential articles sold in the State. I would suggest this for your kind consideration. This is a model scheme. It is being worked throughout the State and it is effective.

Now, Sir, everybody in the country is worried about price rise. As a result of

the economic policies being pursued not only in India but in other countries as well, life has become costlier. We cannot afford to have that in our country. Therefore, there should be a system of control, a system by which all the people get something at cheaper rates, at affordable prices. If you have that kind of a thing, it would give us a big relief. I would request the hon. Minister to consider these points.

श्री एस.एस. अहलुवालिया (बिहार):
उपसभाध्यक्ष महोदय। मंत्री महोदय ने सिविल सप्लाय, पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन में, खासतौर से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों के लिए एक नया प्रोग्राम, जो बहुत दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ था, उसकी 26 जनवरी से लागू करने के साथ साथ आज इस सदन के सामने रखा है। विचार बहुत अच्छा है।

(उपसभाध्यक्ष (श्री जी० स्वामीनाथन) पीछे हट गए)

पहल भी अच्छी है लेकिन पूरे सदन का ध्यान इस तरह लगा हुआ है कि यह लागू कैसे होगा। महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना है कि आपने प्रो० लाकडावाला कमेटी रिपोर्ट को सामने रखकर जिस माध्यम से गरीबी की रेखा को अंकित है मैं उसको देख रहा था। यह पुस्तक है "फोकस ग्रान्द पुअर"। इसके पीछे जो ग्राफ बना हुआ था, मैं उसको देख रहा था। इसके हिसाब से 40 हजार से ज्यादा जिनकी इनकम है... उनकी संख्या जो आंकी गई है वह करीब 26.09 मिलियन है और अगर किसी की आय 40 हजार से ऊपर होती है तो वह इनकम टेक्स पेयी हो जाता है।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: आप ठीक से देख लीजिये **(व्यवधान)**

श्री एस. एस. अहलुवालिया: ठीक से देख रहा हूँ आप भी ठीक से देख लीजिये। 15.96 मिलियन मिडल ग्रुप जो है टैट कस टू 26.09 मिलियन। जहाँ तक मैं जनता हूँ जिसकी आय 40 हजार से ऊपर होती है वह इनकम टेक्स पेयी हो जाता है। अगर 26.09 मिलियन लोग इस देश में इनकम टेक्स पेयी होते तो इस देश की कोई तकलीफ नहीं होती। परन्तु इस देश में सिर्फ 8.6 लाख लोग अथवा 8.6 मिलियन लोग टेक्स देते हैं **(व्यवधान)** यह आंकड़े कहां से आए हैं, मैं पूछ रहा हूँ **(व्यवधान)** मंत्री महोदय मैं पढ़ रहा हूँ और पढ़ कर

कह रहा हूँ। यह गलत आंकड़े सामने रखे गये हैं, इनका विशेषण आपने नहीं किया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह आपके ज़माने के ही हैं (व्यवधान)

श्री एस० एस० अहलुवालिया: यह हमारे ज़माने और आपके ज़माने की बात नहीं है। यह राष्ट्र की बात है और यह आपके सिर के ऊपर की बात है। (व्यवधान) जो आपकी समझ में नहीं आ रही है। मैं यह कह रहा हूँ कि यह जो आपके सिर के ऊपर से निकल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, उसको आप समझिये। यह आंकड़े आपने किस के दिये हैं, रूरल इण्डिया के दिये हैं या आल इण्डिया के दिये हैं (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: आल इण्डिया के हैं (व्यवधान)

श्री एस० एस० अहलुवालिया: अगर आल इण्डिया के आंकड़े हैं तो गलत आंकड़े हैं। सही आंकड़े आप ले कर सदन को बताएं। आप इस तरह से देश को गुमराह कर रहे हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से, आपके आंकड़ों के हिसाब से 26.09 मिलियन लोग टेक्स पे कर रहे हैं लेकिन हमारे देश में हर रिपोर्ट यह कहती है, इकोनोमिक सर्वे कहता है कि 8.6 मिलियन लोग टेक्स पे कर रहे हैं। यह आपके आंकड़े कहां से आए हैं? (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अभी बता देता हूँ (व्यवधान)

श्री एस० एस० अहलुवालिया: बता दीजिये।

श्री देवेन्द्र सिंह यादव: माननीय सदस्य जिस चार्ट को देख कर कह रहे हैं, इस में टेक्सपेयी का सवाल नहीं है। यह सवाल है मिडल क्लास, हाई मिडल क्लास, अपर मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास, यह इण्डियन सोसायटी के स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन है जिसमें बताया गया है कि किस आमदनी के कितने लोग हैं। जैसे 86 हजार से नीचे की आमदनी वाले कितने लोग हैं, 62 हजार से नीचे की आमदनी वाले कितने लोग हैं, 40 हजार से नीचे वाले कितने लोग हैं और 20,000 से नीचे वाले कितने लोग हैं। इस तरह से कैटेगरीज़ बना ली गई हैं। इसको देखा गया है। इसमें टेक्स देने के आधार का कोई सवाल नहीं है। जन वितरण प्रणाली जो हमारी है जो लोग बिलो दा पावर्टी लाइन है, आज तक उनको खाद्यान्न नहीं मिलता रहा। एक माननीय सदस्य ने कहा था, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि आईएएस० अफसर, सभी बड़े लोगों को राशन से

सारा अनाज मिलता रहा। यह दुर्भाग्य है कि जो लोग बिलो दा पावर्टी लाइन है, जिनको रेड दिखाया गया है, इनको नहीं मिलता रहा, आज्ञादी के 50 वर्षों में इन लोगों को राशन से अनाज नहीं मिलता रहा जिनकी आबादी इंगित की गई है 35.97 प्रतिशत—36 प्रतिशत लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं उनको आज तक बहुत कम अनाज मिलता रहा है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ (व्यवधान)

श्री एस० एस० अहलुवालिया: उपसभाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बड़ा अच्छा सजनीतिक उत्तर दे दिया है।

श्री गया सिंह (बिहार): और क्या होगा? (व्यवधान)

श्री एस० एस० अहलुवालिया: गया सिंह जी, ज़रा शांत रहिये, इसका जवाब देना पड़ेगा। यह आंकड़े गलत हैं। यह जो 40 हजार की आमदनी का क्लासिफिकेशन किया है, क्या वह टेक्स पेजर नहीं हैं, आप कहिये?

एक माननीय सदस्य: डांट क्यों रहे हैं?

श्री एस० एस० अहलुवालिया: डांट नहीं रहा हूँ। मेरी यही आवाज़ है। क्लॉक्स घी खाने वाला आदमी हूँ। देवेन्द्र प्रसाद यादव जी मेरी आवाज़ से अवगत हैं। यह जो बंटा हुआ है, मंत्री जी आप इसको मानिये कि गलत बना हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जिस पर मान रहे हैं कि पहली बार सरकार ने माना कि 35.97 बिलों दा पावर्टी लाइन है, मैं कहता हूँ कि इससे ज्यादा लोग बिलों दा पावर्टी लाइन है। इसका कारण यह है कि यह जो आपकी किताब है इसमें आपने जो सब कुछ लिखा है, मोनिटोरिंग सिस्टम, आइडेंटिफिकेशन, इनिशियल आइडेंटिफिकेशन, इन्वेंस आफ कार्ड, सब कुछ लिखा है, लाकड़ावाला की दूसरी रिपोर्ट है जहां पर अरबन पूअर 40 परसेंट से ज्यादा है, उसके बारे में आपने कुछ नहीं लिखा है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Excuse me. May I know from the Minister whether the income statistics also include the agriculture income?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: नहीं, कृषि नहीं रखेंगे। उपसभाध्यक्ष सरोजब, नेशनल कौंसिल ऑफ एलाइड इकोनोमिक की रिसर्च की, जो इसमें आपने बताया कि 35.97 से ज्यादा गरीबी की रेखा के बीच है अब यह स्टडी मैं समझता हूँ कि यह एक दिन बहस ले आयेगी।

हम तैयार हैं। लेकिन 1987-88 में जो एस्टीमेट सैपल सर्वे के आधार पर लाकड़वाला एक्सपर्ट समिति के जरिए जो 1986-87 में भी एक सैपल सर्वे हुआ था उसके फिगर को आप इसमें मिला रहे हैं। यह प्लानिंग कमीशन के जरिए जो न्यू एडजस्टेड बी०पी०एल० फिगर हैं उसका मैंने जिक्र किया है। यह अभी का 1993-94 का अद्यतन है। इसलिए माननीय सदस्य दोनों फिगर को मिला रहे हैं। हमने किताब में जिक्र कर दिया है।... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (G. SWAMINATHAN): Excuse me. The point raised by the hon. Member is in regard to the income-tax payees, but the agricultural income people do not pay income-tax. So, there may be a difference between the two. It is better the Minister clarifies this point. It is a very important point, because the agricultural income does not come within the income-tax net.

SHRI S.S. AHLUWALIA: No, Sir, it is the all-India figure. I wanted a specific answer on this.

यह क्या है? इसमें एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन किया है या नहीं किया है? अगर किया है तो वह कैसे किया है, रूरल पूअर का और अर्बन पूअर का?..... (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: इसमें विस्तार से कह दिया है। अभी पी०डी०एस० पर बोलिए।

श्री एस० एस० अहलुवालिया: नहीं-नहीं, आप इसी पर आधार करके दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि पी०डी०एस० पर पृष्ठिए। आधार आपका यही है। बेस आपका यही है और आप कह रहे हैं कि पी०डी०एस० पर पृष्ठिए। पी०डी०एस० पर तो पूछेंगे किंतु आधार ही गलत हो तो फिर क्या पूछेंगे?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: 80 परसेंट से ज्यादा लोग जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं तो उनको टैक्स थोड़े ही लगता है। इसलिए आप उनको क्यों कहते हैं।

श्री एस० एस० अहलुवालिया: नहीं, डिपेंड नहीं करते। (व्यवधान) जिनकी इन्कम एग्रीकल्चर से होती है उनको टैक्स नहीं लगता है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: जो खेती पर ही निर्भर करते हैं उनको भी आप धोपना चाहते हैं क्या? आपकी धारणा क्या है?... (व्यवधान)

श्री एस० एस० अहलुवालिया: आप सुनिए। आपको इसको इसी तरह बनाना चाहिए था कि रूरल मॉसेज इतने हैं और अर्बन यह है। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: आप विस्तार से पढ़िए।

SHRI S.S. AHLUWALIA: It is a wrong information laid on the Table of the House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): The Minister can reply to it later on.

श्री एस० एस० अहलुवालिया: उपसभाध्यक्ष महोदय, बहुत से सदस्यों ने कार्यक्रम को लागू करने के लिए (व्यवधान) बस इतना ही रिकोमैण्ड कीजिए, वही काफी है। ... (व्यवधान) आपने इसमें फुलड प्रोन एरिया और ड्रवाट प्रोन एरिया के बारे में और कटाव क्षेत्र के बारे में, चूंकि आप बिहार के हैं और आपको मालूम है कि हमारे देश में प्रकृति की विभिन्नता ऐसी है कि कहीं सुखाड़ तो कहीं बाढ़ और फिर कहीं कटाव और कटाव में तो पूरी की पूरी पंचायत कट कर निकल जाती है, घर-बार कट कर निकल जाते हैं, उनके बारे में आपने क्या सोचा है? उसके बारे में कोई प्रावधान इस सिस्टम में नहीं है। अब जब पंचायत नहीं रहती, ग्राम सभा भी नहीं रहती, कार्ड नहीं रहते, कुछ नहीं रहता, आदमी सड़क के किनारे रहता है तो उसके क्या प्रावधान आपने रखा है? मैं समझता हूँ कि एक-चौथाई बिहार का हिस्सा इसी से प्रसिद्ध है और उसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने बयान में कहा है कि टैन के.जी. पर फैमिली फूडग्रेन्ट देगे। अब जो बिलो द पावर्टी लाइन रहते हैं उनकी फैमिली में कितने सदस्य होते हैं इससे मेरे से ज्यादा आप अवगत हैं।... (व्यवधान) और ज्यादा होते हैं और उनकी फैमिली को टैन के.जी. पर मंथ दे कर आप क्या दे रहे हैं? उसी के साथ-साथ आप कहते हैं जवाहर रोजगार योजना में वन के.जी. राइस और व्हीट पर पर्सन, पर डे दे रहे हैं। ... (व्यवधान) और दूसरी सब से बड़ी बात है बिलो द पावर्टी लाइन में भी आपने एक स्ट्रक्चर ड्रूंडा है। टैन के.जी. एट ए टाइम दिया जाएगा पर मंथ। टैन के.जी. का सामान खरीदने की क्षमता उस गरीब आदमी में एट ए टाइम है या नहीं, उसका असैसमेंट क्या आपने किया है? अगर 4 रुपए के.जी० दे रहे हैं तो उसे 40 रुपए चाहिए। यह क्षमता है उस की?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: यह 2.50 है। एक दिन की मजदूरी से कम।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: ठीक है साढ़े 22 रुपए ही लेते हैं हम और साढ़े 22 रुपया मजदूरी एक दिन में मिलती है तो "बिलो पावरटी लाइन" नहीं आएगा?

THE VICE CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): I would request the Member not to address the Minister. I would also request the Minister not to address the Member. Instead of addressing each other directly, address the Chair.

श्री एस.एस. अहलुवालिया: उपसभाध्यक्ष महोदय, बिहार में 35 रुपए निमिनम वेजेज हैं और अगर ये 22 रुपए बता रहे हैं तो पहले तो लेबर डिपार्टमेंट पकड़ेगा कि 35 रुपया नहीं 22 रुपया कैसे कमा रहा है? महोदय, जिस को नौकरी नहीं है, खाने को नहीं है और एक कमरेवाला और दस खानेवाले हैं, वैसे हालात में ऐसे लोगों के लिए यह व्यवस्था की गयी है, पर ये कभी उस पर सोचेंगे कि प्रैक्टिकल परपोजेज में यह इम्प्लीमेंट होगी कि नहीं?

उपसभाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों मैं मद्रास से दिल्ली की फ्लाइट पर था, उस में मुझे एक आदमी मिला। उस आदमी की तरफ किसी कारणवश मेरा ध्यान गया। हवाई जहाज ने ज्योंही "टेक ऑफ" किया, उस ने अपने कान में एक प्लास्टिक का यंत्र लगा लिया था। मैं ने पूछा कि यह क्या है? उन का जवाब था कि हवाई जहाज में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और यह यंत्र उसे कंट्रोल करता है। फिर मैं ने पूछा कि, कहां, रहते हैं? बैंकाक में रहता हूं। क्या करते हैं? चावल सप्लाई करता हूं। मैं सच बता रहा हूं। मैं ने प्रश्न किया, कहां करते हैं। बोले कि गल्फ कंट्रीज में चावल सप्लाई करता हूं। मैंने पूछा फाइन राइस, सुपर-फाइन राइस या ऑर्डनरी राइस? वह बोले, ऑर्डनरी राइस करता हूं, बासमती राइस नहीं सप्लाई करता। मैं ने कहा कि, कहां से करते हैं? वह बोले कि साउथ इंडिया से करते हैं। मैं ने सवाल किया कि साउथ इंडिया से चावल ले जाना तो बहुत दिक्रतवाली बात है क्योंकि साउथ इंडिया तो ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थर्न इंडिया से चावल लेता है। उन के पास तो चावल कम है क्योंकि वहां लोग चावल खाते हैं और उनकी खपत पूरी करने के लिए नॉर्थ इंडिया से चावल आता है। फिर आप को एक्सपोर्ट करने की परमीशन कैसे मिलती है? वह बोले कि साहब, यह जो सब्सिडाइज्ड चावल एक रुपए, दो रुपए केजी मिलता है, मैं यह सारा का सारा उठा लेता हूं और गल्फ कंट्रीज

को एक्सपोर्ट करता हूं। महोदय, मैं आश्चर्यचकित हो गया कि हम यहां सब्सिडी बांटते हैं और ये उस को बेचकर खानेवाला बैंकाक में रहता है और हमें पता नहीं। यह मॉनीटरिंग सिस्टम है। महोदय, हमारे मंत्री महोदय बिहार के सांसद हैं, यह कहीं से अपने क्षेत्र से ... (व्यवधान) ...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T.R. BAALU: Just now the hon. Member has mentioned that he has travelled with some person. Can he give us some more particulars about that person so that I can ask our Government to take action?

SHRI S.S. AHLUWALIA: Mr. Baalu, I know what action your Government takes.

SHRI T.R. BAALU: The House should not be misled. He is giving wrong information. If what he has said is correct, let him give us recorded evidence.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Mr. Minister, don't intervene in these matters. On this matter, don't challenge me.

SHRI T.R. BAALU: I am not challenging.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Don't challenge a Member. When I am sharing this information, when I am not giving wrong information, who is he to say all these things? ..(Interruptions)... It is my personal information. It is not a public property. I am sharing my personal information.

SHRI T.R. BAALU: Mr. Vice-Chairman, Sir, the hon. Member has narrated some story. ..(Interruptions)... Yes, it was a story. If it was not a story, let him give evidence, through you, to the House. We would ask the State Government to take suitable action.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Mr. Ahluwalia, the Minister wants you to substantiate it. That is what he wants, through the Chair.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Mr. Vice-Chairman, Sir, if I want to make an accusation against a particular person, then only I have to substantiate it. But if a Member of Parliament narrates any personal experience or shares personal information, then, he is not bound to divulge anything.

SHRI T.R. BAALU: He should not cast aspersions like that. *Ä..(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): As a Minister he wants to take action against those people who are doing wrong things. If you are able to give information, you give it to him. They would take action. If you are willing, you give him the information. If you are not willing, you can refuse. That is between you and the Minister.

SHRI S.S. AHLUWALIA: I am coming to the next point. But the Minister should not intervene like this. He was a Member of this House. He is aware of the convention of this House. When he said that I am giving a wrong information, I think, he is inviting trouble for himself.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): No, no. He is only telling the Chair that he does not accept it, that it is wrong information. He has got a right to say that. He has got a right to say that he does not accept it and it is wrong information. And you can say it is right information.

SHRI S.S. AHLUWALIA: I am saying so.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): You cannot prevent him from saying that it is wrong data, wrong information. That is his point of view. Your point of view is that it is right information. You argue your point. He has got a right to say his point. Neither he can interfere with you, nor can you with him. I would only request you to complete it now.

श्री एस.एस. अहलुवालिया: आप ऐसे रज्यों का पता लगा लें, जहां लोग गेहूं का आटा नहीं खाते। अब जहां लोग आटा नहीं खाते हैं, वहां आप गेहूं भेज देते हैं। आपकी एलोकेशन ऐसे रज्यों को होती है, जहां कि लोग गेहूं का आटा नहीं खाते हैं। ..(व्यवधान)... आप कृपया शांत रहें। और, आप ऐसे रज्यों का भी पता लगाइए, जहां एडीबल आयल नहीं खाया जाता और वहां यह एडीबल आयल भेज दिया जाता है। आखिर, इस तरह का गेहूं और एडीबल आयल कहाँ जाता है?

श्री देवेन्द्र प्रसाद बादव: पी.डी.एस. के बारे में हैं।(व्यवधान)....

श्री एस. एस. अहलुवालिया: पी.डी.एस. का ही कहा है, क्या ऐसे रज्यों में आप भेजेंगे जहां गेहूं नहीं खाते हैं लोग?(व्यवधान)....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): I would make a request to the hon. Minister. If he wants to reply, he can stand up and reply. It is not fair for him to keep sitting and giving points of fact to the Member and for the Member to argue with the Minister. I do not think it is fair. The Minister and the Member should address the Chair. Now, please conclude, Mr. Ahluwalia. You have already taken 20 minutes., While others have taken 10 minutes, you have taken 20 minutes.

श्री एस. एस. अहलुवालिया: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि ऐसे रज्यों का जरा पता लगाकर पहले आइडेंटिफाई करें, जहां गेहूं नहीं खाया जाता है और जिनको गेहूं की एलोकेशन होती है। इसी तरह ऐसे रज्यों को चावल की एलोकेशन होती है, जहां लोग चावल नहीं खाते हैं। इन दोनों चीजों का पता लगाकर आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए कि इस क्षेत्र में चावल जाएगा और इस क्षेत्र में गेहूं जाएगा। क्या आपने ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन किया है या मैपिंग की है या नहीं की है डिपार्टमेंट के माध्यम से? अगर की है तो उसे सदन के सामने कृपा करके रखें।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी कहना है कि अरबन पूअर का जैसा कहा, 40 परसेंट अरबन पूअर है। इनका आपने अपनी पुस्तिका में कोई प्रावधान नहीं बताया है कि इनके कार्ड कैसे बनेंगे, कौन बनाएगा? आपने ग्राम पंचायत और ग्राम सभा द्वारा इनीशियल कार्ड बनाने की परंपरा शुरू करने की बात कही है। यह आप

अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके पास कोई भी आया, जिसे गरीबी रेखा से नीचे रहने का सर्टिफिकेट चाहिए तो अमीर से अमीर आदमी भी उस ग्राम सभा से उसे ले आता है। तो क्या आप उसी को आधार मानकर कार्ड सुनिश्चित करेंगे या आपने और कोई नई बात अपनाने की सोची है? इस बारे में भी बताने की कृपा करें।

महोदय, यही सब बातें मैं जानना चाहूंगा। धन्यवाद।

श्री रामनाथ कोविन्द (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्यों ने बहुत सारे सपष्टीकरण मांगे हैं, मैं उन सपष्टीकरणों में कुछ नई बातें जोड़ना चाहता हूं।

महोदय, सबसे पहले मैं मंत्री जी का ध्यान इस पुस्तिका की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। इसमें मैंने देखा है कि एक पत्र विभाग के सचिव ने 14 फरवरी, 1997 को प्रदेश के सभी खाद्य सचिवों को लिखा था और उसी के मुख्य मुख्य पैराग्राफ यहां पर मंत्री महोदय ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें बिल्कुल एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस किया है। मैं इस दृष्टि से यह पूछना चाहूंगा, भ्रष्ट स्पष्टीकरण यह है, कि मंत्री महोदय आपने जो यह स्टेटमेंट दिया है इसके हम आपको स्टेटमेंट मानें अथवा जो आपके विभाग के सचिव ने पत्र लिखा है इसी स्टेटमेंट के रूप में वह पत्र मानें? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि स्टेटमेंट और पत्र, इन दोनों में जो अंतर मुझे समझ में आया है, वह यह है कि पत्र में उन्होंने प्रपोज़ल्स बताए हैं और गवर्नमेंट ने जो डिस्मिशन लिया है, उसे डिक्लेयर करने की फॉर्म में स्टेटमेंट आया है। आपके स्टेटमेंट का जो पहला पैराग्राफ है, मैं आपसे कहा है कि — Realising this, the Government proposes.....

पैराग्राफ 3 में आपने कहा है कि — "To start with, it is proposed." This is also a proposal. In paragraph 4, it is stated, the Government also proposes.... This is also a proposal.

मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सरकार ने जो निर्णय लिया है, जो इस स्टेटमेंट के माध्यम से आपने रखा है, क्या वह अंतिम निर्णय है नया केवल एक प्रपोज़ल है?

महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि इस स्कीम के लागू हो जाने से 32 करोड़ लोगों को फायदा होगा। आपने यह भी माना है कि आज का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें केवल 16 करोड़ बैनिफिशरीज़ हैं। मैं

आपसे यह जानना चाहूंगा कि इस स्कीम को लागू करते समय जो 16 करोड़ बैनिफिशरीज़ का अंतर है, उसको आप कैसे दूर करेंगे और इस नयी प्रणाली से कब तक यह काम पूरा करेंगे। उसकी मैक्सिमम टाईम लिमिट क्या होगी?

महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने इस पुस्तिका के माध्यम से सभी राज्य सरकारों को कह दिया कि 26 जनवरी, 1997 को यह स्कीम लागू हो गई। तो क्या आप इस सदन को बताने का कष्ट करेंगे कि किन राज्यों ने आपकी इस स्कीम को लागू कर दिया है? उन्होंने अगर कोई कमेंट्स भेजे हैं, तो आप उनसे भी हमें अवगत कराएं।

महोदय, लकड़ावाला कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 1993 में जो फैमिलीज़ बिलो पोवर्टी लाईन आइडेंटिफाई की गई थीं, उन्हीं को आपने इस योजना में शामिल किया है। तो 1993 के बाद के 3 सालों में जो फैमिलीज़ बिलो पोवर्टी लाईन आ गई हैं, उनके लिए क्या आप कुछ रिलीफ देंगे? या आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे कि 1993 तक जो फैमिलीज़ बिलो पोवर्टी लाईन आइडेंटिफाई हुई हैं, केवल उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा, बाकी को नहीं, इसके लिए आपने क्या कोई समाधान निकाला है?

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Sir, the matter is being sorted out between Shri S.S. Ahluwalia and the Minister.

The VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): I don't know. I think they are sorting out the matter between themselves. If they have sorted out the matter, it would be better if they inform the House that they have sorted out the matter. (Interruptions)

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: If they had done it earlier, that time could have been saved.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): There are two, three Members who want to speak on this subject. I want to know from the hon. Minister as to how much time he requires. There are two, three speakers who want to speak. Shri Mohd. Azam Khan, Shri Mool Chand Meena. Shri Mool Chand Meena.

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में जो वक्तव्य माननीय मंत्री जी का आया है उससे ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी से सरकार अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं कर रही है, केवल कागजी कार्रवाई कर देती है, घोषणाएं कर देती है। लोगों के सामने अपना प्रदर्शन करके कार्यप्रणाली से कार्य नहीं करना चाहती। प्रो० लक्ष्मणलाल की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया गया था। उसमें कुछ खामियां हो सकती हैं लेकिन जिस तरह से मंत्री जी ने वक्तव्य के अंदर कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीबी के रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए असफल रही है, यह जिम्मेदारी का वक्तव्य नहीं है, जिम्मेदारी की बात नहीं है कि किसी सरकार के कार्य को एकदम ही असफल बना दिया जाए। यह कह सकते हैं कि कुछ खामियां रही हैं जिससे लोगों को लाभ नहीं मिल पाया। तो मंत्री जी इसमें सुधार करेंगे। जो आपका आज का वक्तव्य है वह केवल गरीबी के रेखा के नीचे जो लोग जीवनयापन कर रहे हैं, उस पर केन्द्रित रखने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का यह कार्यक्रम आपने दिया है। इसकी मॉनिटरिंग किस प्रकार से आप करेंगे क्योंकि सारी जिम्मेदारी तो स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दी है। जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं उनकी जांच करने का, उनकी खोज करने का कार्य स्टेट गवर्नमेंट के पास है, उनको विशेष कार्ड जारी करने हैं उनकी भी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट को है। केवल आप तो खाद्यान्न उपलब्ध कराने की बात कहते हैं। आपने स्टेटों के मुख्य मंत्रियों की मीटिंग बुलाकर कोई विशेष निर्देश स्टेटों को दिए हैं जिससे वास्तविक रूप से आज आप 32 करोड़ लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं उनको लाभ पहुंच सके। जो नई स्कीम आप लागू कर रहे हैं — सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसको वास्तविक रूप में, प्रेक्टिकल रूप में कार्य करने के लिए कोई दिशा निर्देश आपने दिए हैं तो वह दिशा निर्देश क्या है। इस प्रणाली को सुचारू रूप से और सफल रूप में कार्य करने के लिए आपने नियंत्रण के लिए कोई मॉनिटरिंग सैल अलग से बनाया है? रण्यों की सहायता पर आधारित इस स्कीम को लागू करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। पिछली सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक ऐतिहासिक कार्य किया था कि शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स तथा जो डेजर्ट एरिया के अंदर लोग रहते हैं उनके लिए एक स्कीम प्रारम्भ की थी। लेकिन आज मंत्री जी उस जिम्मेदारी से मुक्ति चाहते हैं। कुछ महीने पहले इस देश के अंदर इनकी व्यवस्था के

कारण खाद्यान्न की स्थिति यह हो गई थी कि आटा 15 रुपए किलो बिका था। इस पर मूल्य नियंत्रण नहीं रह पाया। मेरी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से इस प्रणाली को यह सफल रूप में, कार्य रूप में परिणित कर पाएंगे। इनका जो मॉनिटरिंग सैल है या जो व्यवस्था है, उसको स्पष्ट करें। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो कर्मचारी, अधिकारी इस कार्य में लगे रहेंगे उनके लिए या विशेष गरीबी की रेखा के नीचे जीने वालों को कोई लाभ पहुंचाने के लिए कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था आपने की है? यदि प्रशिक्षण की व्यवस्था की है तो किस प्रकार से की है, वह स्पष्ट करें। मैं यही जानना चाहता हूं। धन्यवाद।

SHRI YERRA NARAYANASWAMY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I congratulate the United Front Government for implementing the Targeted Public Distribution System throughout the country. But, according to the methodology of the Expert Group headed by Prof. Lakdawala, injustice has been done to Andhra Pradesh. According to the Expert Group's opinion the percentage of people who live below the poverty line in Andhra Pradesh is 22.19, whereas the national average is 36%. After 30 years of independence the Andhra Pradesh Government under the former Chief Minister, N.T. Rama Raoji, implemented the scheme of Rs. 2 per kilogram of rice. Now the present Government is implementing the rice subsidy scheme of Rs. 3.50 per kilogram. The Expert Group has taken into account the purchasing power of the people who are enjoying the State subsidy scheme. The percentage of people below the poverty line in Andhra Pradesh has been put at 23% after taking into account the purchasing power of the people under the existing rice subsidy scheme. I am contesting this and I am disagreeing with the Expert Group's study. In Andhra Pradesh the original figure of the people below the poverty line was 36%. The Centre must look into the matter. While implementing the scheme the percentage of people below the poverty line in Andhra Pradesh should be taken as 36. Foodgrains for Andhra Pradesh under

this PDS scheme must be allotted taking into account this 36% average. I want a clarification on this from the hon. Minister.

SHRI PREM CHAND GUPTA (Bihar): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak. Fifty years after independence, for the first time, the United Front Government headed by Shri Deve Gowda has realised the necessity for an effective public distribution system which would ensure supply of foodgrains and other commodities to the people below the poverty line in a more effective and transparent manner. As we all know, our present PDS has not been very successful. It has failed. I don't want to go into the reasons as it may become a matter of controversy.

To start with, under this scheme ten kilograms of grains would be supplied through the PDS at a specially subsidised price to the families which are below the poverty line. Here I want to put one question to the hon. Minister. These estimates are for the year 1993-94. They have been arrived at as per the Planning Commission report and the report of the Expert Committee headed by Prof. Lakdawala. Would this number of families be, time and again, changed according to the ground realities or would this number be static? Sir, the distribution of foodgrains at the rate of ten kilograms per month per family is a beginning only. As we are all aware, any increase depends on the procurement of grains by various Government agencies.

We have certain obligations. We have certain schemes like mid-day meal, food for SC and ST hostels, etc., for which foodgrains have to be supplied. After fulfilling these obligations, the foodgrains available for issue through the PDS is between 162 lakh metric tons and 170 lakh metric tons which would, most probably, be distributed under the present scheme.

The families would be identified on the basis of the Expert Group report which

has very clearly laid down guidelines for identification of families. In this particular case, the Gram panchayats and Gram Sabhas have been asked to identify eligible families. If there is any doubt, these cases can be verified. Some hon. Members have expressed a doubt that the urban population has been left out and nothing has been done for them. Sir, it has been clearly mentioned in the report that the slum dwellers would generally—qualify for the Below Poverty Line. If there is any family which is not living in a slum area, that family can also get these benefits. The families which have been taken into account are landless agricultural labourers, marginal farmers, rural artisans/craftsmen such as potters, tappers, weavers, etc. I compliment the Government for introducing this scheme.

SHRI K.M. SAIFULLAH (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I congratulate the United Front Government for introducing this scheme. But the credit should go to Andhra Pradesh because this scheme was first introduced in Andhra Pradesh when the late N.T. Rama Rao was the Chief Minister. This scheme is still there. My only grievance is in Andhra Pradesh the percentage of persons below the poverty line is fixed at 22.19. But the all-India, average is 35 per cent. I would request the Minister to reassess it. I would request the Minister to give orders for reassessment and allow Andhra Pradesh to avail of the scheme for 35 per cent. Thank you.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: उपसभाध्यक्ष महोदय, काफी विस्तार से माननीय सदस्यों ने भरे द्वारा लिखित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर जो मैंने वक्तव्य दिया, उस पर लगभग दो दर्जन माननीय सदस्यों ने अपनी विद्वता और अपनी जानकारी को सदन के सामने रखने का काम किया और उसमें कई अच्छे सुझाव दिये हैं। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्यों ने जिस भावना से कहा, उनकी अप्रोच कन्स्ट्रिक्ट थी। मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूँ कि एक सवाल सबसे पहला था कि इसमें काफी चर्चा की गयी है या नहीं और राज्यो को विश्वास में लिया गया है या नहीं तथा इस योजना को

लागू करने से पहले किस-किस स्तर पर कन्सल्टेशन हुआ, इसके संदर्भ में मैं आपसे निवेदनपूर्वक कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय सदस्य प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा जी जो सम्मने बैठे हुए थे, उन्होंने और दूसरे माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार रखे हैं। मैं पहले उनको पार्टी के घोषणा पत्र की सिर्फ एक पंक्ति उद्धृत कर देना उचित समझता हूँ। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने 1996 के चुनाव-घोषणा पत्र में कहा है कि "सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पुनःसंरचना, ऐस्टीमेट कर इसके सिर्फ गरीब और जरूरतमंदों पर सीमित रखना चाहिए।" दूसरी पंक्ति फिर मैं पढ़ देता हूँ। "सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गरीबी उन्मूलन से संबद्ध योजना कार्यक्रम में काम के बदले अनाज देने के अनुकूल बनाया जाएगा।" यह उनका घोषणा पत्र है। अब चलिए कांग्रेस के घोषणा पत्र पर। मैं सभी पोलिटिकल पार्टियों के घोषणा पत्र का जो आपरेटिव पोशन है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में, उसको मैं उद्धृत करता हूँ क्योंकि कई माननीय सदस्यों ने अपने-अपने एंगल से इस बात को रखा है। अभी हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे कि असफल क्यों हो गया। मेरी कोई भावना ऐसी नहीं है इस योजना को लागू करने की। कुछ मान लीजिए, खास मान लीजिए। हम इसके मान लेते हैं, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में "गरीबी और बेरोजगारी का उन्मूलन" शीर्षक के तहत उसमें कहा गया है, "संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार देश के सभी संघानों, पिछड़े इलाकों में और शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवारों तक करेगी। संपुष्ट सार्वजनिक वितरण विधिन पीडीएस प्रणाली में वितरित किये जाने वाले चावल, गेहूँ के निर्गम मूल्य का दो रुपये प्रति किलो तक दाम तय करेगी।" मैं नहीं कह रहा हूँ, सभी पोलिटिकल पार्टियाँ कह रही हैं।

अब चले आइए सीएमपी पर। कामन मिनिमम प्रोग्राम जो संपुष्ट मोर्चा की सरकार का है जिसमें 13 पार्टियाँ हैं उन्होंने कहा। नेशनल कांग्रेस को लगाकर 14 पार्टियाँ हैं। इन 13 पार्टियों ने एक घोषणा पत्र बनाया और उस घोषणा पत्र में साफ कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रभावी बनाने के बारे में उम्मीद की जाती है कि सरकार आधे दाम पर गरीबों को, जरूरतमंद लोगों को, गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करायेंगी। यह संकल्प है सीपीएम का। माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी स्वतंत्रता दिवस पर न्यूनतम साझा कार्यक्रम को लागू करने के संदर्भ में घोषणा की थी। यह घोषणा को मैंने उद्धृत कर दिया है। माननीय प्रधान

मंत्री ने कहा था। "सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की बहुत आलोचना हुई है। कई राज्यों में गरीब लोगों को इसका लाभ नहीं मिल सका है। अब हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्रमबद्ध तरीके से विस्तार करने का निर्णय लिया है जिससे गरीब परिवारों को हर महीने सामान्य से आधी कीमत पर दस किलोग्राम तक चावल और गेहूँ दिया जा सके।" मैं पहले आपकी पार्टी की बात कह रहा हूँ। इस में डिटेल्स ही आपकी नहीं हैं और भी चीज आपकी है। आप इस संदर्भ में और भी बोलें हैं, लेकिन मैं इस में यही पूर्ण विराम करता हूँ।

इस योजना का जो समाज के गरीब लोग हैं, जो समाज के अन्तिम आदमी हैं जो लास्ट मैन ऑफ द सोसायटी हैं, जो पुअरेस्ट सैक्शन ऑफ पीपुल हैं, उनके लिए लागू किया है, इसलिए इसकी एग्जेंस में आपने जो भावना व्यक्त की है, मैं उसकी कद्र करता हूँ। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और उन सामान्य सदस्यों के प्रति आभार प्रदर्शित करता हूँ जिन्होंने शंकाओं को उठाया है। मेरे मन में भी शंका आई थी। कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि आपने इस संबंध में कभी अभ्यास किया है या नहीं? आपने किस-किस स्तर पर विचार किया? मैं बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में चार-पांच जुलाई को सीएम की कांग्रेस हुई उसमें मुख्य मंत्रियों को बुलाया गया था। उसमें सात बेसिक नीट्स पर, मिनिमम बेसिक नीट्स पर विचार हुआ था और उस सम्मेलन में सातवें नम्बर पर यही पीडीएस था। नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली को किस तरह से सुप्रभावी बनाया जाये, किस तरह से फोकस अवन पुअर, किस तरह से गरीबोमुखी बनाया जाये इसके लिए मैं प्रस्ताव लेकर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में गया था। उस सम्मेलन की माननीय प्रधान मंत्री जी अध्यक्षता कर रहे थे। मैंने जब वह प्रस्ताव राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में रखा तो माननीय मुख्य मंत्रियों को सम्मेलन में मेरे प्रस्ताव का स्वागत किया गया। उनका एक संशोधन केवल इतना था कि जो एक्जीस्टिंग पीरिड है उसको दुरुस्त खान नहीं किया जाएगा और फेज वाइज इस पर विचार किया जाएगा। चूंकि एक व्यवस्था चली आ रही है एक्जीस्टिंग पीडीएस सिस्टम की, उसको दुरुस्त रोका नहीं जाए तो मैंने कहा कि ठीक है डेमोक्रेटिक प्रणाली से हमको काम करना है। मैंने उसको भी प्रोटैक्ट करने का वचन दिया। लेकिन कितने दिन तक इसमें प्रोटैक्ट कर पायेंगे यह तो आगे जब पीडीएस लागू होगा तो धीरे-धीरे। Affluent class should be excluded. यह आप भी चाहते होंगे और हम भी चाहते हैं लेकिन मैं आपसे साफ कह

देना चाहता हूँ कि इसके बाद सत्र तारीख को फूड मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस यहीं दिल्ली में हुई। सभी राज्यों के फूड मिनिस्टर्स को सम्मेलन में आमंत्रित किया गया और सभी फूड मिनिस्टर्स के सामने मैंने सारी चीजों को रखा। यह जो लाकड़ावाला एक्सपर्ट कमेटी है, इसके पहले जो 1987-88 में एक्सपर्ट कमेटी या एनएसएस, जो नेशनल सैम्पल सर्वे हुआ था उस सर्वे के जरिए जो एस्टीमेट आया था वह बहुत कम था बीपीएल का, बिलों का पावर्टी लाइन पीपुल्स का। अभी कहा गया कि नहीं ये तो 87-88 के फूड ग्रैन का है, आप नया लाइये, अभी तक का एस्टीमेट लाइये। उसमें बहुत से गरीब छूट जायेंगे। हमने उनके विचार को उसी समय अंगीकार कर लिया उस सम्मेलन में। हमने लाकड़ावाला एक्सपर्ट कमेटी के आधार पर फिर से योजना आयोग से सम्पर्क किया। अभी एडोरेड फार्मुला में जो बीपीएल का एस्टीमेट दिया हमने 1993-94 के आधार पर जो भी सर्वे हुआ था उसके आधार पर दिया। प्रोफेसर लाकड़ावाला एक्सपर्ट कमेटी को आधार बनाया गया और उसी आधार पर उन्होंने बताया, उन्होंने कुछ राज्यों में कम किया। गरीबी रेखा के मापदंड के विषय में जो चर्चा हुई है उसमें कुछ राज्यों की गरीबी को अर्बन इलाके में ज्यादा बताया गया। इस तरह से अभी जो 1993-94 को आया उसको हमने एडार किया। एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की जो अभी मीटिंग हुई थी 16 जनवरी को उसमें साफ शब्दों में हमारे योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि सबसे ज्यादा है। उन्होंने यह नहीं कहा कि यह एस्टीमेट सम्पूर्ण रूप से, कम्पलीट रूप से पूरा है लेकिन उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा नजदीक से इस एस्टीमेट को तैयार किया गया है, बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है। इसमें जो गरीबी रेखा का आकलन किया गया है वह सबसे ज्यादा उचित है, पिछले से ज्यादा बढ़िया तरीके से तैयार किया गया है तो हमने उसको एडार किया। हमारी जो गाइड लाइन्स हैं उनमें स्पष्ट उसका जिक्र है। हमारे कुछ माननीय सदस्य और श्री अजीत जोगी जो कि काफी अनुभवी सदस्य हैं, ने कहा है कि इसी तरह की अन्य योजनाओं को भी इसमें ऐड किया जाये। मैं आपसे निवेदनपूर्वक कहना चाहता हूँ कि फूड सिक्योरिटी हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। फूड कितना प्रब्योरमेंट होता है, हमारे पास फूड की एवलेबिलिटी क्या है, ग्रैन की एवलेबिलिटी क्या है, हम उसको देखेंगे। खाद्यान्न की उपलब्धता क्या है हम उसी पर योजना लागू कर सकते हैं। कई माननीय सदस्यों ने उसको दूसरे रूप में कहा है ईएएस जो हमारी सुनिश्चित रोजगार योजना, इम्प्लाइमेंट

एशयोरेंस स्कीम और जेआरवाई स्कीम हैं। हमने जेआरवाई स्कीम के तहत यह किया क्योंकि दस किलो की बड़ी चर्चा हुई है कि दस किलो से क्या होगा और भी तो रिकवायमेंट है परिवार की, परिवार की परिभाषा क्या होगी? कई माननीय सदस्यों का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैंने पहले ही जिक्र किया कि उन्होंने ठीक सवाल उठाया है। मैंने इस पर विचार किया। जिस समय यह प्रोजेक्ट बन रहा था, जिस समय हम इस पर विचार कर रहे थे तो बहुत गहराई से, बहुत गम्भीरता से इस पर कई तरह का अभ्यास हुआ, मानसिक अभ्यास हुआ, फिंगर्स को लाया गया। प्लानिंग कमिशन का जो बीपीएल एस्टीमेट था उस पर हमने नजर डालने की कोशिश की कि पिछले पीडीएस में जो खामियां, जो त्रुटियां हैं उन पर भी नजर डाली गई। जो एग्जिस्टिंग प्रब्योरमेंट है, हमारे पास जो खाद्यान्न भंडार है और जो प्रब्योरमेंट की क्षमता है वे हमको राज्य की एजेन्सी प्रब्योरमेंट करती है और एफसीआई के जाले होती है, पंजाब या आंध्र प्रदेश से चावल आता है। अकेले पंजाब से 65 प्रतिशत आता है। पंजाब ही ऐसा राज्य है जो सैन्ट्रल पूल को योगदान देता है क्योंकि हमसे माननीय सदस्यों ने यह सवाल उठाया था कि जो राज्य ज्यादा योगदान देता है फूड ग्रैन का उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसको जो टेक्स प्रब्योरमेंट करते हैं तो जो वह रूरल सेस है वह लगभग 626 करोड़ रुपया पंजाब को केन्द्र सरकार देती है क्योंकि वहां से हम चावल खरीदते हैं, धान खरीदते हैं, गेहूं खरीदते हैं और हम देते हैं आन्ध्र प्रदेश ... (व्यवधान) ...

श्री सुरिन्द्र कुमार सिंगला: पंजाब में ... (व्यवधान) पंजाब में आपने फाइन, सुपर फाइन वैरायटी को रखकर पंजाब... (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: आगे बात करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ... (व्यवधान)

श्री सुरिन्द्र कुमार सिंगला: पंजाब के साथ आपने जुलूम किया, पंजाब के साथ आपने डिस्क्रिमिनेशन किया... (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: जो सवाल आगे किया जाना है, मैं अभी पीडीएस पर कंसंट्रेट करना चाहता हूँ। मेरा यह कहना था कि गेहूं और चावल आन्ध्र से मैं लेता हूँ 226 करोड़ रुपया। कल तक आन्ध्र को मिलता था माल 113 करोड़ रुपया रूरल से। इसीलिए हमने जो टर्म्स पंजाब के लिए रखा है वही आन्ध्र के लिए रखा है। हमने गैर-बिरादरी नहीं की है। हमने समानता की है। जब उनका चालीस लाख टन परसाल संक्षय है, जो

आग्रा से हमको चावल मिलता है, तो हम क्यों नहीं देंगे उसको दस प्रतिशत। इसीलिए हमने उसमें जोड़ा 226 करोड़ रुपया। उनको भी टेक्स के रूप में केन्द्र सरकार देती है क्योंकि हम वहां प्रवोयमेंट करते हैं। खासतौर से, जोगी जी जब आप बोल रहे थे तो मैं आपकी बात बड़े गौर से सुन रहा था। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सवाल खड़ा किया है कि जे०आर०वाई० में ई०ए०एस० को प्लस किया जाए। अगर हमारे पास फूड अवेलेबिलिटी हो तो हम कोशिश कर सकते हैं। उत्पादन बढ़े इसके लिए कोशिश करेंगे और इसके लिए योजना बनायेंगे। अभी जो हुआ है वह 10 किलो एक परिवार, पर फेमिली है।

श्री सुरिन्दर कुमार सिंगला: जिस दिन से आपकी सरकार बनी है उस दिन से प्रोडक्शन कम हुआ है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): I request the Member not to interrupt. ... (Interruptions)...

SHRIMATI KAMLA SINHA (Bihar): Sir, I am on a point of order. The hon. Minister heard every Member very patiently and now he is replying. Why should anybody interrupt in between? This is very unfair ... (Interruptions)...

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: I have every right to do so. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Let the Minister. ... (Interruptions)...

SHRIMATI KAMLA SINHA: Let the Minister reply ... (Interruptions)...

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: जोगी जी और कई माननीय सदस्यों ने कहा, मेरे पास नाम भी है, मैंने नाम दर्ज किए हैं, करीब करीब सभी माननीय सदस्यों ने इस बात की चिंता जाहिर की है कि 10 किलोग्राम जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवार हैं, जो फेमिलीज हैं—दो डिपेंडेंट और दो एडल्ट, कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे उनकी रिकवायरमेंट पूरा करेंगे वह हमारे सामने एक ज्वलंत सवाल है। मैंने इस सवाल पर काफी गौर किया है। जे०आर०वाई० और ई०ए०एस० में काम करने वाले जो मजदूर होंगे उनको इसमें 40 किलो मिल सकता है। 10 किलो बी०पी०एल० और 30 किलो पर-मैन्डेज और अगर वूमन है कि पर-व्यूएन्डेज अगर वे महीने में 30 दिन काम करते हैं तो एक किलो प्रति दिन के हिसाब से

सब्सिडाइज्ड रेट पर उसको मिलेगा। इस में जो काम न करने वाले मजदूर हैं उनके लिए परेशानी है। हम उनको काम से जोड़ना चाहते हैं और देश की दौलत बढ़ाने के लिए हमारी सबसे बड़ी पूंजी श्रम है। लेबर हमारी पूंजी है इसलिए उनकी ओर हमारा ध्यान है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर, इसकी महत्ता को देखते हुए उनको और अधिक देने की योजना है। रिकवायरमेंट के बारे में मैंने बात साफ कर दी। दूसरी बात जो मैं उठाना चाहता हूँ वह यह है कि ... (व्यवधान) ... गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की पहचान कैसे हो। ... (व्यवधान) ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Order please. ... (Interruptions) ... I request the Minister to address the Chair.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: आपका जो भी आदेश होगा वह शिरोधार्य है। आप सर्वोपरि हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल यह है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की पहचान कैसे होगी। How do you identify people living below the poverty line? इसकी पहचान का आधार स्पष्ट है। जो लाकड़वाला एक्सपर्ट ग्रुप है उसके अनुसार एनुअली जिनकी 15 हजार से कम इनकम है, प्लानिंग कमीशन और एन०डी०सी० के पास इसके जो आधार हैं उन्हीं के आधार पर यह तय किया है। 15 हजार से नीचे जिनकी एनुअल इनकम है, उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए गाइड लाइंस भी दी गई है, इन गाइड लाइंस में इस बात का जिक्र है। जिन राज्यो में क्योंकि हमारे माननीय सदस्य जो इस बारे में नजदीक से जानकारी रखते हैं उन्होंने आपत्ति उठाई है कि आई०आर०डी०पी० और डी०आर०डी०पी० योजना के तहत ए०पी०एल० को भी बी०पी०एल० में रख दिया गया है तो वह गलत फायदा ले लेंगे इस अनाज का। इस सब्सिडाइज्ड रेट के अनाज का गलत लाभ उनको मिल जाएगा। इस लिए राज्यो को इस गाइड लाइंस का लाभ मिलेगा। राज्यो को हिदायत दी गई है और यह गाइड लाइंस दी गयी है राज्य सरकारों को कि आप जब बी०पी०एल० की पहचान करेंगे तो न केवल आपको मानक आई०आर०डी०पी०, डी०आर०डी०पी० रहेगा बल्कि 15 हजार से कम आमदनी वाले जो ग्रामीण क्षेत्र में—हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि अरबन का भी उठाइए, अरबन में 75 होगा और ग्रामीण इलाके में कैसे होगा। ग्रामीण इलाके के लिए मैंने अपनी गाइड लाइन में स्पष्ट चर्चा की है कि ग्रामीण

इलाके में होगा कि जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन मजदूर...

5.00 P.M.

लैंडलेस लेबरर, जो कृषि मजदूर है, एग्रीकल्चर लेबरर है, खेतिहर मजदूर है, छोटे किसान हैं, मार्जिनल किसान हैं जिनका साल भर अनाज नहीं चल पाता है, जनवरी में पेड़ों का पैदा करते हैं और जून आते आते उनके पास खाने का अनाज नहीं रहता है, ऐसे मार्जिनल फार्मर्स जो दौलत पैदा करते हैं उनको अधिकार दिया है, कुम्हार लोग जो पिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनको दिया है ... (व्यवधान) ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Just a minute. It is five o'clock now. I would like to know the sense of the House. There is Motion of Thanks on the list of business. ... (Interruptions) ...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Before you give your orders I would suggest that let the Minister complete his reply within 5-6 minutes and let the Mover of the Motion just move it and the debate can take place later. We should not just throw everything to the winds. Let the Minister complete, after that let the Mover move the Motion of Thanks. She can continue her speech tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Yes, we will do like that. The Minister can finish his reply. Then the mover will move the Motion of Thanks.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: जो सदन की राय होगी, मुझे मंजूर होगी। मैं पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा। उपसमाध्यक्ष महोदय, छोटे किसान, बुनकर लोहार, बढ़ई, ग्रामीण कारीगर, शिल्पकार जिनको विलेज आर्टिजन कहते हैं, यह ग्रामीण इलाके में पहचान का मापदंड हुआ। जो लोग शहरी इलाकों में रहते हैं उनका मापदंड होगा गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग, भार बाहक, कुली का काम करते हैं रिक्षा चलाने का काम करते हैं, टैक्सी चलाने और टैला चलाने का काम करते हैं, पट्टी पर फल और फूल बेचने का काम करते हैं, ऐसे जो असंगठित जीवन बिताते वाले मजदूर हैं, सब इसमें लिये जाएंगे। जो टी-वी वाले हैं जो बड़ी-बड़ी आमदनी वाले होंगे, वह तो आमदनी के आधार पर अपने आप कट

जाएंगे। इसलिए इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिये। जो मापदंड होगा, वह रिपोर्ट में दिया है, किसी तरह का कोई विभेद नहीं किया गया है कि किस तरह से पहचान करेंगे। एक बात मैं और कहूंगा, मेरी बोलने की नीयत तो थी लेकिन आपका बिजनेस है, एक यह सवाल उठाया गया कि आदिवासी इलाकों में क्या होगा देखा जाए तो यह जो चित्र चित्रित किया गया है, जिस तरह से यह आंका गया है, सही मायने में आदिवासी इलाके में ध्यान देने की व्यवस्था है। मेरे पास आबंटन है, केन्द्र सरकार के पास आबंटन है आदिवासी इलाकों के लिए रज्यों का जो रिकमेंडेशन आया उसको प्रायर्टी देंगे क्योंकि हमें इस योजना को धरती पर उतारना है चाहे जो भी हो। हमारा संकल्प है, उनके प्रति हमारा कमिटमेंट है। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि आज तक हाई क्लास के लोग, हम लोग, आप लोग जो बैठे हुए हैं बीच के लोग राशन लेते रहे हैं यह रेड वाले लोग हैं, जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले 36 प्रतिशत लोग हैं जिनकी आबादी 32 करोड़ है, अब हमने यह लक्षित किया है, टारगेट बनाया है कि इस नयी पीन्डीएस के अन्दर उनको लाभ मिलता रहे। यह इस योजना की प्रथम प्रायर्टी है। यह लोग अब तक केवल थोड़ी चीनी ले कर राशन छोड़ दिया करते थे, साथ अनाज कालाबाजारी में चला जाता था, मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि 33 प्रतिशत लोग ही आज तक दुकान पर जाते थे। अब मेरा विश्वास है जिन लोगों को अब हम कार्ड देंगे, वह राशन की दुकान पर पहुंचेंगे और एक छटाक अनाज भी नहीं छोड़ेंगे, जरूर अनाज लेंगे। यह जागृति लाने के लिए सब जगह कैम्प करने जा रहे हैं, सभी रज्यों में यह निर्देश दे रहे हैं कि किस तरह से इन लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना है। इमर्शियल कम्पेडीटीज़ एक्ट के प्रति किस तरह से जागरूक किया जाए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए भी हमारा अलग से संकुलर जा रहा है। आगे जब इस विषय में विस्तार से बात होगी तो मैं डिटेल् में बताऊंगा कि किस तरह से ब्लैक मार्किटिंग को और फूडब्रेन के डाइवर्सन को रोकने का हमारा संकल्प है। हम इसमें कामयाब होंगे। पहले भी हम कामयाब हुए हैं। कुछ रज्यों में एक करोड़ से अधिक का गेहूँ कालाबाजारी में पकड़ा गया और 1137 दुकानों के लाइसेंस जब्त किये गये, निलम्बित किये गये। हमने रज्यों को यह संकुलर दिया था कि व्हीट कंट्रोल लिमिट लगाएँ। हमने फूडब्रेन कंट्रोल लाइसेंस का आदेश जारी किया जिसके अनुसार रज्यों ने अपनी अपनी क्वॉटिटी की लिमिट फिक्स कर दी और गिरफ्तारियां हुईं चाहे मध्य प्रदेश हो। मध्य

प्रदेश की जिलेवार फिगर में पास है। समय नहीं है, नहीं तो मैं विस्तार से बताता। उत्तर प्रदेश का भी फिगर है, बिहार का भी फिगर है। मैं इसको यहीं रोक्ता हूँ। लेकिन आपके जो कंस्ट्रिक्ट कुछ सुझाव आए हैं ... (व्यवधान) मैं उसको कन्कलूड करता हूँ, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इश्यू प्राइस के विषय में जो कंप्यूशन है... (व्यवधान) मैं इसको साफ कर देना चाहता हूँ। ... (व्यवधान) 26 जनवरी को इश्यू प्राइस के विषय में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इश्यू प्राइस से रुपये पचास पैसे किलो बी०पी०एल गरीबी रेखा के नीचे के 32 करोड़ लोगों को जारी होगा और आप यह शंका कर रहे हैं कि कार्ड कैसे बनेगा। हमारे अंसारी जी सवाल उठा रहे थे कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर आपने एलान किया और अभी तक राज्यों को मुहैया कैसे नहीं हुआ। इस मामले में मैं साफ कहना चाहता हूँ कि चाहे कोई राज्य हो जब तक स्पेशल राशन कार्ड उनका तैयार नहीं होगा तब तक उस राज्य में वह खाद्यान्न जारी नहीं किया जाएगा क्योंकि हम खाद्यान्न का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। यह हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। हम यहाँ मंत्री हैं इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए हमने राज्यों को आदेश दिया है कि आप अपने-अपने स्पेशल कार्ड ... (व्यवधान) विजिलेंस कमेटी और मैनेजिंग कमेटी ब्लॉक लेवल पर ... (व्यवधान) उनको भी नहीं मिला, सभी राज्यों का एक समान ... (व्यवधान) नहीं मिल सका क्योंकि कार्ड नहीं तैयार है। केवल पश्चिम बंगाल ने संकेत दिया है, केरल ने संकेत दिया है। तमिलनाडु ने कहा है कि 31 मार्च तक कम्प्लीट होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी का यहां इन्फॉर्मेशन आया है, जो उन्होंने प्रैस में भी दिया है और यहाँ भी सूचना है। केरल ने कहा है कि हम इसी महीने तक तैयार कर देंगे। गुजरात ने कहा है कि हम 18 मार्च के बाद तैयार हो जायेंगे। सभी राज्यों का मैंने कंसेसेज लिया है। सभी राज्यों के फूड मिनिस्टर्स का मैंने कंसेसेज लिया है और सभी से कहा है कि आप समय निर्धारित कीजिए। पश्चिम बंगाल में मुख्य मंत्री माननीय ज्योति बसु जी ने कहा है कि हम तो 15 तारीख को ही रेडी होंगे, 15 फरवरी को ... (व्यवधान) फिर तैयारी में टाईम लगा चुंकि प्राइसिंग का डिस्टिन्शन लंबित था। प्राइस का मामला विचारधीन था। पश्चिम बंगाल में सिर्फ 22 यूनिसप्लायिटीज़ में कार्ड बनना बाकी है वरना पूरे राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में कार्ड तैयार हुआ है। यह खुशी की बात है। पश्चिम बंगाल को प्रायरीटी आधार पर रखेंगे। सब से पहला राज्य पश्चिम बंगाल होगा जहां यह हमारी योजना लागू होने जा रही है और जहां गरीबों के प्रति डेडिकेशन है, कमिटमेंट है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए ... (व्यवधान) ... मैंने आपका बहुत समय लिया ... (व्यवधान) ... अभी 30 प्रतिशत राज्यों की सूचना आई है ... (व्यवधान) ... हरियाणा से सूचना है। हरियाणा से सूचना है कि 31 मार्च तक तैयार कर देंगे। जो राज्य कार्ड तैयार करेंगे, जो विजिलेंस कमेटी बनायेंगे, मानिट्रिंग सिस्टम को सुदृढ़ करेंगे, ब्लैक मार्केटिंग और डाइवर्सन को रोकने की योजना बना करके जब तक हमारे पास नहीं लायेंगे तब तक हम सन्तुष्ट नहीं होंगे। राज्यों को केन्द्र अपनी टीम भेजना है। सन्तुष्ट होने के लिए हम केन्द्र से टीम भेजते हैं। पश्चिम बंगाल से रिपोर्ट लेकर हमारी टीम आई है। उन्होंने कहा है कि 44 यूनिसप्लायिटीज़ में अभी बन रहा है। 22 में बन गया है और 22 में बाकी है। ... (व्यवधान) ... आन्ध्र प्रदेश का जहां तक सवाल है, माननीय सदस्य ने यहां उठाया था। जो क्लब होता है, प्राकृतिक आपदा होती है। यह तो 32 करोड़ गरीबों की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए योजना है। ए०पी०एल और बी०पी०एल दोनों का दाम तय है। 2.50 बी०पी०एल का और 4.50 ए०पी०एल का और चावल भी 3.50 बी०पी०एल का और 6.50 ए०पी०एल का ... (व्यवधान) ... इस 32 करोड़ के बाद भी यदि प्राकृतिक आपदा होती है जैसे आन्ध्र प्रदेश में साइक्लोन का मामला है, तो नेचुरल कैलोमिटी के दुष्प्रभाव से केन्द्र सरकार को हमेशा अधिकार है कि जहां ऐसी सिचुएशन उत्पन्न होगी तो हम वहां एंटी हंगर मूल चलायेंगे। वहां फूडब्रेन भी ज्यादा देने का हमको अधिकार है और हम ऐसे राज्यों को निश्चित रूप से देंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो वैलफेयर स्कीम है चाहे मिड-डे मील हो, चाहे एस०सी० एस०टी० के छात्रावास हैं, एस०सी० और एस०टी० के छात्रों के जो होस्टल हैं। स्टूडेंट्स हैं, एस०सी०/एस०टी० की वैलफेयर स्कीम में ऐसे छात्रों को भी फूड ब्रेन रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।

महोदय, हम ने कई योजनाएं बनाई हैं और आगे जब भी इस पर बात होगी मैं तैयार हूँ कि इस पर विस्तार से बहस हो जाय। महोदय, मेरा निवेदन है कि इस योजना को मैंने आप के सामने रखा है। कुछ माननीय सदस्यों ने 40 किलोग्राम की जो शंका उठाई थी, उस को मैंने साफ कर दिया है। मेरा निवेदन है कि इस योजना को इस तरह से न लिया जाए। गरीबों के लिए पहली बार जो काम हुआ है, मैं समझता हूँ कि हम उस को और ज्यादा सुप्रभावी बनाने की कोशिश कर रहे हैं फूड ग्रेस का दुरुपयोग रोकने के लिए हम सख्त-से-सख्त कार्यवाही करेंगे। महोदय, अभी हमारे माननीय सदस्य विजय कुमार

मल्लोरा जी ने ट्रेडर्स और मिलर्स का सवाल उठाया कि आप ने 3 रुपया दाम बढ़ा दिया। महोदय, आप को याद होगा कि इसी राज्य सभा में, उच्च सदन में पिछली बार जब मैं बहस कर जवाब देने आया था तो माननीय सदस्य ने काफी जोर अटैक किया था जबकि मेरी नीयत नहीं थी। मुझे उन से फायदा हो गया। मैंने पता लगाया कि क्या बात है? उन्होंने कहा कि आप लोग ट्रेडर्स और मिलर्स को फायदा देते हैं। उन्हें सब्सिडाइज्ड रेट पर गेहूं देते हैं। इस बार हम ने ताला-चाबी बंद कर दिया है। हम ने दो रुपया दाम ट्रेडर्स और मिलर्स का खत्म कर दिया है, तो आप चिल्ला क्यों रहे हैं? The subsidy is only for the people who are below the poverty line. महोदय, सब्सिडी का आकलन मैं बताता हूँ। सब्सिडी पहले थी 5,884 करोड़ रुपया, जो पुरानी पीपुल्स चल रही थी। यह है यंगटेड पीपुल्स और पुरानी पीपुल्स में फूड डिपार्टमेंट की सब्सिडी थी 5,884 करोड़। इस बार वह बढ़ाकर बीपीएल को, 32 करोड़ लोगों के लिए सब्सिडाइज्ड दाम पर सस्ते अनाज की योजना है और इस में हम को लग रहा है 8,283 करोड़ 90 लाख। तो यह लगभग 2,400 करोड़ बढ़ोतरी हुई है। एग्जैम्पल 2400 करोड़ की सब्सिडी है, लेकिन bulk of the total subsidy will go in favour of the poorest of society. इसलिए सरकार इस धन का पूरा इंतजाम करेगी। इस सरकार के पास गरीबों के लिए दिल है, गरीबों के प्रति डेडिकेशन है, कमिटेमेंट है। इसलिए यह धन गरीबों के हित में जाएगा जिन के तन पर कपड़ा नहीं है, जिन के मुंह में जुवान नहीं है, वहीं भगवान है। इसलिए हम यह उन को देंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI SATISH AGARWAL: Sir, such an important motion is going to be moved by Shrimati Kamla Sinha and I am very sorry that neither the hon. Prime Minister nor a senior Minister is here; or at least the hon. Leader of the Opposition is also not here... (Interruptions)... Yes, I am asking about the hon. Leader of the Opposition... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): We had taken sense of the House. The hon. Member will move the motion and speak tomorrow. And tomorrow, perhaps, all the Members would be here... (Interruption)...

श्री एस. एस. अहलुवालिया: महोदय, इस सदन में ऐसी परंपरा है कि जब भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मोशन ऑफ थैंक्स मूव होता है तो प्रधान मंत्री जी उपस्थित रहते हैं। अगर वह नहीं रहते हैं तो लीडर ऑफ द हाउस उपस्थित रहते हैं। यहाँ दोनों नदारद हैं। यह सदन का अपमान है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): It is up to her. It is up to the hon. Member. If she wishes to move now, she can move or if she wants to move in the presence of the hon. Prime Minister... (Interruptions)...

SHRI S. S. AHLUWALIA: She cannot move according to her wish... (Interruptions)... There are certain conventions in the House... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): The sense of the House has already been taken... (Interruptions)... It was also decided that the hon. Member would move the motion... (Interruptions)...

DR. U. VENKATESWARLU: It has already been informed that the hon. Prime Minister has gone to Orissa since there is a big tragedy. It is known to the House... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): There is a message from the hon. Prime Minister saying, "I shall be visiting Orissa and returning in the evening. I shall, therefore, not be able to attend the post lunch sitting of the Rajya Sabha." permission was also given by the Chair... (Interruptions)...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: That is all right.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): The Deputy Chairman had already given the permission. On that basis, I asked her to move the Motion of Thanks.

SHRI S.S. AHLUWALIA: You should have ready the letter first.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Now, Shrimati Kamla Sinha, please.